रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1972 (वैशाख 30, 1894)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1972 (VAISAKHA 30, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 11 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 11th January 1972 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	447
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	805
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	25
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	699
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1299
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1677
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	249
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	655
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	169
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	43
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	1005
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	99
पूरक संख्या 21—	
13 मई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	905
22 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संम्बन्धी आंकड़ें .	917

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—*Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court*	447
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	805
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	25
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	699
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1229
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1677
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	249
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	655
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	169
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	43
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1005
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	99
SUPPLEMENT No. 21	
Weekly epidemiological Reports for week ending 13th May, 1972	905
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 22nd April, 1972	917

भाग I—खण्ड 1
(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1972

सं० 56-प्रेज/72—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

बाबा सावन सिंह,
एडजुटेन्ट,
6ठी बटालियन,
प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 मई, 1969 को प्रातः पुलिस दल, जिसमें बाबा सावन सिंह भी थे, जब गिरिराज के गिरोह के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए घात लगाने के बाद गांव इकरामनगर से लौट रहा था तो उन्हें सूचना मिली कि गिरिराज का गिरोह अपने साथियों के साथ गांव ग्यारे-का-नागला में छिपा हुआ है। तुरन्त पुलिस दल को दो टुकड़ियों में बांटा गया जिसमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व बाबा सावन सिंह ने किया। इन दोनों पुलिस टुकड़ियों ने गांव ग्यारे-का-नागला को पश्चिम की ओर से घेर लिया। बाबा सावन सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी डाकुओं के निभृत स्थान पर पहुँची। किन्तु डाकुओं को पुलिस की गतिविधि का पता चल गया और उन्होंने निभृत स्थान की छत से गोली चलाना आरम्भ कर दिया। बाबा सावन सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलाई। छत पर होने के कारण डाकू अनुकूल स्थिति में थे किन्तु पुलिस कर्मचारी बिना किसी ओट के खुले स्थान में थे। परन्तु बाबा सावन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस को उनकी गोलियों से बचाने के लिए वे रेंग कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। लकड़ी की सीढ़ी से, जो कि पास के मकान के बाहर रखी थी वह चुपचाप छत पर चढ़ गए, और उनके पीछे-पीछे एक कांस्टेबल भीप हुँच गया। उनको देखकर डाकुओं ने उन पर गोलीयां चलानी शुरू कर दीं किन्तु बाबा सावन सिंह ने छत की मुन्डेर की आड़ ली और डाकुओं पर गोली चलाई। बाबा सावन सिंह की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप डाकुओं ने नीचे खड़े पुलिस कर्मचारियों के बजाय केवल बाबा सावन सिंह पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। बाबा सावन सिंह ने छत पर एक डाकू पर गोली चलाई, जो मर गया। इस मुठभेड़ में एक अन्य डाकू जख्मी हुआ।

उपर्युक्त मुठभेड़ में बाबा सावन सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा पहल-शक्ति का परिचय दिया और डाकुओं के गिरोह के एक प्रमुख सदस्य को मार डाला।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मई 1969 से दिया जाएगा।

सं० 57-प्रेज/72—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

1 नवम्बर, 1970 की शाम को इम्फाल नगर में अचानक अव्यवस्था फैल गई। अनेक दुकानों को आग लगा दी गई। बदमाशों ने बाजारों में लूटमार की तथा आग लगाई और एक रिहायशी बस्ती पर भी हमला किया। 1 नवम्बर, 1970 को नगर में गश्त लगाते समय शाम के लगभग 7 बजकर 30 मिनट पर श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा को सूचना मिली कि थंगल बाजार में पान-विक्रेताओं की कुछ दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं और उनको आग लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। श्री शर्मा पुरन्त उपलब्ध पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। रास्ते में पुलिस दल ने एक लदा हुआ ट्रक देखा जिसको गुन्डों ने आग लगा दी थी। पुलिस दल ने आग बुझाने का प्रयत्न किया किन्तु 20-30 व्यक्तियों की भीड़ ने उन पर पत्थर फेंके। श्री शर्मा ने भीड़ को तितर-बितर होने की चेतावनी दी किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बदमाशों ने पथराव जारी रखा। तब श्री शर्मा ने अपना रिवाल्वर निकाला। इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप भीड़ पीछे हट गई। श्री शर्मा ने ट्रक तथा उस पर लदे अधिकांश सामान को नष्ट होने से बचा लिया। ट्रक को बचाने के बाद श्री शर्मा पास के एक जनरल स्टोर की ओर गए जिसको इस बीच बदमाशों ने आग लगा दी थी। आग बुझाने के प्रयत्न किए गए। पुलिस दल पर बदमाशों ने फिर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप श्री शर्मा के पांव में पत्थर से चोट लगी। अपनी चोट की परवाह न करते हुए श्री शर्मा ने अपनी रिवाल्वर से एक बार गोली चलाई और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस बीच देखा गया कि बदमाशों ने उस क्षेत्र में कपड़े की एक दुकान का ताला तोड़ दिया। और कपड़े की गांठें दुकान से सड़क पर फेंक रहे थे। पांव में चोट होते हुए भी श्री शर्मा तुरन्त कपड़े की दुकान की ओर बढ़े। उन्होंने

टेलीफोन द्वारा इम्फाल पुलिस थाने से कुमुक भी मंगवाई। भीड़ ने पुनः पुलिस दल पर पथराव किया। श्री शर्मा विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपने रिवाल्वर से भीड़ पर दो राउंड और गोली चलाई तथा उसे तितर-बितर कर दिया।

श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा के वीरतापूर्ण तथा सुदृढ़ कार्यवाही के परिणामस्वरूप ही सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सका।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 नवम्बर 1970 से दिया जायेगा।

सं० 58-प्रेज/72—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहन सिंह,
कांस्टेबल सं० 70002078,
1ली बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

17 सितम्बर, 1971 को प्रातः 8 बजे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की दो टुकड़ियों के एक दल को कलकत्ता पुलिस के साथ कलकत्ता के कोसीपुर थाने में स्थित राजाबागान क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए नियुक्त किया गया था। राजाबागान क्षेत्र में बस्ती को घेरने के उपरान्त पुलिस दलों को उग्रवादियों के छिपने के अड्डों तथा समाजविरोधी तत्वों और अवैध हथियार एवं गोला-बारूद की तलाश करने के लिए भेजा गया। जब तलाशी शुरू हुई तो दो उग्रवादी डम-डम सड़क की ओर भागने लगे। श्री मोहन सिंह ने, जो संयोग से उग्रवादियों के छिपने के अड्डे के समीप थे, उनका पीछा किया। उनमें से एक उग्रवादी के पास रिवाल्वर था और उसके साथी के पास "भुजाली" थी। उग्रवादियों के उक्त साथी ने श्री मोहन सिंह को एक उग्रवादी को पकड़ने से रोका। फिर उग्रवादी ने श्री मोहन सिंह को गोली मारने के उद्देश्य से अपना रिवाल्वर उनकी ओर ताना किन्तु उसके ऐसा करने से पहले ही श्री मोहन सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादी को धरदबोचा और उसे अपनी राइफल की मूठ दे मारी। इस प्रकार उन्होंने उग्रवादी द्वारा गोली चलाने के प्रयत्न को विफल कर दिया। इसी बीच कलकत्ता पुलिस के अधिकारी वहां पहुँच गए और उग्रवादी को गोली से मार दिया।

श्री मोहन सिंह ने उग्रवादी को पकड़ने में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। श्री मोहन सिंह की कार्यवाही के फलस्वरूप ही उग्रवादी बाद में कलकत्ता पुलिस के अधिकारियों द्वारा मारा गया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 59-प्रेज/72—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शंकर राम राडे,
पुलिस कांस्टेबल बी० सं० 12059/सी०,
ग्रेटर बम्बई पुलिस दल,
महाराष्ट्र।

(स्वर्गीय)

श्री जयसिंह शंकर विचारे,
लैंस नायक बी० सं० 8399/सी०,
ग्रेटर बम्बई पुलिस दल,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

13 अगस्त, 1971 को श्री शंकर राम राडे और श्री जयसिंह शंकर विचारे बम्बई की फाक लैण्ड रोड पर सादे कपड़ों में गश्त ड्यूटी पर थे। उस रात लगभग 2 बजे श्री राडे और श्री विचारे ने उस क्षेत्र में कुछ शोर सुना। चीख पुकार सुनकर श्री राडे तुरन्त उस स्थान की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी और वहां उन्होंने एक बदमाश को देखा जो अपने हाथ में छुरा लिए हुए था। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए और कर्त्तव्य की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित होकर श्री राडे सशस्त्र आक्रमणकारी पर झपटे, यद्यपि लोग शोरमचा रहे थे कि आक्रमणकारी तीन व्यक्तियों को पहले ही छुरा घोंप चुका है। आक्रमणकारी ने श्री राडे की मजबूत पकड़ से बचकर भाग निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया और उनके पेट में छुरा घोंप दिया। इसी बीच श्री विचारे भी घटनास्थल पर पहुँच गए। उन्होंने आक्रमणकारी पर अपने छाते से प्रहार किया तथा उसे मजबूती से पकड़े रखा। इस प्रकार उन्होंने सशस्त्र आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन बाद श्री राडे की घावोंके कारण मृत्यु हो गई।

अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक सशस्त्र आक्रमणकारी को गिरफ्तार करने में श्री शंकर राडे राम तथा श्री जयसिंह शंकर विचारे ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 अगस्त, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 60-प्रेज/72—राष्ट्रपति उड़ीसा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हदीबन्धु बहेरा,
हवलदार,
सशस्त्र रिजर्व पुलिस,
गंजम,
उड़ीसा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27 जुलाई, 1971 को शाम 7 बजकर 30 मिनट पर रामगिरि पुलिस थाने में सूचना मिली कि सशस्त्र उग्रवादियों का एक दल

गाँव बेतारसिंगी में पड़ाव डाले हुए है और अपराध करने की योजना बना रहा है। सूचना प्राप्त होते ही श्री हृदीबन्धु बहेरा आठ कॉस्टेबलों के साथ उग्रवादियों को पकड़ने के लिए गाँव बेतारसिंगी की ओर चल दिए। पहाड़ी जंगल के बीच से होकर वे रात के लगभग 9 बजकर 30 मिनट पर गाँव बेतारसिंगी पहुंचे। उग्रवादियों के छिपने के स्थान के बारे में सूचना एकत्र करने के बाद श्री बहेरा ने पुलिस दल को दो टुकड़ियों में बाँट दिया और दो तरफ से उग्रवादियों की ओर बढ़े। रात के लगभग 1 बजकर 30 मिनट पर श्री बहेरा के नेतृत्व वाला पुलिस दल उस चट्टान के पास पहुचा जहाँ उग्रवादी बैठे थे। अचानक पुलिस दल पर एक बम फेंका गया जिसके विस्फोट से जबर्दस्त धमाका हुआ और उसके टुकड़े सभी ओर गिरे। एक टुकड़ा श्री बहेरा की दायी आँख के ठीक नीचे लगा और वहाँ से खून बहने लगा। बम विस्फोट और खून के बहने की परवाह न करते हुए श्री बहेरा उग्रवादियों को घेरने के लिए अपने दल के साथ आगे बढ़ते रहे। उग्रवादियों ने पुलिस दल पर दूसरा बम फेंका किन्तु श्री बहेरा अविचलित रहे और अपने जवानों को उग्रवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया और दो अन्य घायल हुए। बाद में एक घायल उग्रवादी की मृत्यु हो गई।

श्री हृदीबन्धु बहेरा ने सशस्त्र उग्रवादियों को पकड़ने में उत्कृष्ट वीरता तथा साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाँक 28 जुलाई 1971 से दिया जाएगा।

सं० 61-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते है :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री हरीवल्लभ मोहन लाल जोशी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

श्री अत्तर सिंह,
कंपनी कमांडर,
5वी बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मुरैना,
मध्य प्रदेश।

श्री आत्मानन्द दूबे,
कॉस्टेबल सं० 636,
5वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मुरैना,
मध्य प्रदेश। **(स्वर्गीय)**

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू नाथ्थू सिंह तोमर के गिरोह ने ग्वालियर डिवीजन के जिलों और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के समीपस्थ जिलों में अपहरण, हत्याओं तथा डकैतियों के अनेकों अपराध किए थे। 18 फरवरी, 1970 को श्री हरीवल्लभ मोहन लाल जोशी को सूचना मिली कि डाकू नाथ्थू सिंह के गिरोह के कुछ व्यक्ति गासवेणी पुलिस थाने के एक जंगल में छिपे हुए है और गाँव सहसराम में कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं। श्री जोशी ने डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए योजना तैयार की और पुलिस दल को चार टुकड़ियों में विभाजित किया। डाकू ईख के एक खेत में छिपे हुए थे। 19 फरवरी, 1970 की प्रात: दो पुलिस दलों को ईख के खेत को दूर तक घेरने के लिए तैनात किया गया। शेष दो पुलिस दलों का नेतृत्व सब-डिविजनल अधिकारी श्री एम० के० शुक्ल तथा पुलिस अधीक्षक श्री एम० डी० शर्मा द्वारा किया गया। श्री शुक्ल का दल जब मोर्चा सभालने के लिए दक्षिण की ओर जा रहा था तो डाकुओं ने पुलिस को देख लिया और उन पर गोली चलाने लगे। गंभीर खतरे की परवाह किए बिना पुलिस ने जवाब में गोली चलाई तथा छः डाकुओं को मार दिया। इस कार्यवाही में श्री जोशी ने न केवल अपने आपको ही जोखम मे डाला बल्कि डाकुओं पर पूरी तरह से घेरा डालने के उद्देश्य से वह खुले मैदान में आगे बढ़ते रहे। बाद मे उन्होंने अग्रिम दल का नेतृत्व संभाला। श्री जोशी ने गंभीर खतरे की स्थिति में उत्कृष्ट साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

अपनी टुकड़ी के व्यक्तियों के साथ श्री अतर सिंह ने मोर्चा संभालने के लिए तूफानी अंधेरी रात में घुटनों-घुटनों पानी मे चलकर रास्ता पार किया। डाकुओं द्वारा पुलिस पर गोला-बारी किए जाने के बाद श्री अतर सिंह ने डाकुओं के गिरोह पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया। वह खुले मैदान में ईख के खेत के किनारे तक आगे बढ़ गए और उन्होंने डाकुओं पर हथगोले फेंके। आरम्भ की मुठ-में छः डाकू मारे गए किन्तु पता लगा कि गिरोह के नेता समेत तीन और डाकू अभी खेत में छिपे हुए है। डाकुओं के छिपने के सही स्थान का पता लगाना बहुत कठिन था। अतः यह तय किया गया कि खत को छाना जाय। श्री अतर सिंह ने उस अन्तिम आक्रमणकारी दल का नेतृत्व किया जिसे बचे हुए डाकुओं का सफाया करने को भेजा गया था। डाकुओं पर आक्रमण करके उन्होंने अपने जीवन के लिए गम्भीर खतरा उठाया।

प्रारम्भिक आक्रमण के बाद जब बचे हुए डाकुओं का सफाया करने के लिए ईख के खेत की छान-बीन का निश्चय किया गया तो श्री आत्मानन्द दूबे सबसे आगे थे। पूरी तरह से यह जानते हुए भी कि डाकुओं द्वारा सबसे पहले उन्ही पर गोली चलाई जा सकती है वे ईख के खेत में प्रवेश करने वालों में सबसे प्रथम व्यक्ति थे। खतरे की परवाह किए बिना वह ईख के खेत में घुसे परन्तु डाकुओं से बहुत निकट से उन पर गोली चलाई जिससे वह मारे गए। डाकुओं की इस गोलाबारी से खेत में उनके स्थान का पता चल गया और पुलिस ने डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही करके उनको समाप्त कर दिया।

डाकू नाथ्थू सिंह के गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में सर्वश्री हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी, अत्तरसिंह तथा आत्मानन्द दूबे ने उत्कृष्ट साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री अत्तर सिंह और श्री आत्मानन्द दूबे को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 1970 से दिया जाएगा।

सं० 62-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री महेश दत्त शर्मा,
पुलिस अधीक्षक,
मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री दरियाव प्रसाद,
कंपनी कमांडर,
एफ० कंपनी, 5वी बटालियन,
मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

डाकू नत्थू सिंह तोमर का गिरोह 1961 से ग्वालियर डिवीजन के जिलों और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के समीपस्थ जिलों में सक्रिय था । यह गिरोह अपहरण, हत्या और डकैती के अनेक अपराधों के लिए उत्तरदायी था । 18 फरवरी, 1970 को जब श्री महेश दत्त शर्मा गांव विजयपुर के समीप पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ पड़ाव डाले हुए थे, तो उन्हें सूचना मिली कि डाकू नत्थू सिंह के गिरोह के कुछ व्यक्ति गांव सहसराम के समीप ईख के एक खेत में छिपे हुए हैं और कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं । श्री महेश दत्त शर्मा ने पुलिस उप महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए एक योजना तैयार की । पुलिस दल को चार टुकड़ियों में विभाजित किया गया और उन्हें रात्रि में चुपके-चुपके आगे बढ़ने तथा 19 फरवरी, 1970 को दिन निकलने से पहले ईख के उस खेत को चारों ओर मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया । पुलिस की दो टुकड़ियों को खेत के सुदूर किनारे पर मोर्चा संभालने के लिए तैनात किया गया और दो पुलिस टुकड़ियों को खेत के दक्षिणी किनारे के समीप मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया, ऐसा करते समय डाकुओं ने उन्हें देख लिया । डाकुओं ने तुरन्त पुलिस पर भारी गोलाबारी कर दी । श्री शर्मा ने एक पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व किया । वह अपने अधिकारियों सहित ईख के उस खेत को जिसमें डाकू छिपे हुए थे, एक ओर से घेरने के लिए दौड़े । वह अपने दल में सबसे आगे-आगे दौड़ते रहे और डाकुओं की भारी गोला बारी के सामने आ गए । बाद में उन्होंने डाकुओं के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के संचालन में पुलिस उप महानिरीक्षक की सहायता की । श्री शर्मा ने इस प्रकार मुठभेड़ में वीरता का प्रदर्शन किया । श्री दरियाव प्रसाद ने डाकुओं के गिरोह के विरुद्ध की गई कार्यवाही में एक कंपनी का नेतृत्व किया । उन्होंने तूफानी अंधेरी रात में अपने लिए निर्धारित मोर्चे पर पहुँचने के लिए घुटने-घुटने पानी में चल कर रास्ता पार किया । वह ईख के उस खेत के किनारे से जहां डाकू छिपे हुए थे, डाकुओं के गिरोह पर गोली चलाने तथा आक्रमण का निर्देशन करने के लिए खुले में चले आए । बाद में उन्होंने शेष बचे डाकुओं का पता लगाने के लिए तैनात किए गए तलाशी दलों का नेतृत्व किया ।

सर्वश्री महेश दत्त शर्मा और दरियाव प्रसाद ने डाकू गिरोह के साथ मुठभेड़ में उत्कृष्ट वीरता तथा साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक के बार से संबंधित संविधि के छठे खण्डवाक्य और नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री दरियाव प्रसाद को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 1970 से दिया जाएगा ।

सं० 63-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री महेन्द्र कुमार शुक्ल,
उप मण्डल अधिकारी, पुलिस,
शिवपुर,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री दुलारे सिंह,
कांस्टेबल सं० 720,
2री बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश ।

श्री दूधे सिंह,
कांस्टेबल सं० 93, बी० कम्पनी,
10वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
सागर,
मध्य प्रदेश ।

श्री देवी सिंह,
कांस्टेबल सं० 604,
5वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री सूबेदार सिंह,
कांस्टेबल सं० 152,
5वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री हीरा सिंह,
कांस्टेबल सं० 422,
15वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

डाकू नत्थू सिंह तोमर का गिरोह 1961 से ग्वालियर डिवीजन के जिलों और राजस्थान व उत्तर प्रदेश के साथ लगे जिलो में सक्रिय

था और उसने अनेक अपहरण, हत्याएं तथा डाके डाले थे। 18 फरवरी, 1970 को सूचना मिली कि डाकू नत्थू सिंह के गिरोह के कुछ व्यक्ति गांव सहसराम के जंगल में छिपे हुए हैं। पुलिस के उप महानिरीक्षक द्वारा कार्यवाही की योजना तैयार की गई और पुलिस दल को चार टुकड़ियों में विभाजित किया गया। उनमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व श्री महेन्द्र कुमार शुक्ल कर रहे थे। 19 फरवरी, 1970 को दिन निकलने से पहले मोर्चा संभालने के लिए ये पुलिस टुकड़ियां सारी रात घुटनों तक पानी में चलती रहीं। डाकू ईख के एक खेत में छिपे हुए थे। जब श्री शुक्ल के नेतृत्व वाली पुलिस टुकड़ी खेत के दक्षिणी किनारे की ओर बढ़ रही थी तो डाकुओं ने उसे देख लिया और उस पर गोली चला दी। यद्यपि पुलिस को आश्चर्य हुआ तथापि वे अविचलित रहे। श्री हीरा सिंह पुलिस टुकड़ी के हल्की मशीनगन के चालक थे। वह दो अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी गन को उपयुक्त स्थान पर लगाने के लिए पुलिस दल के आगे पहुँचे। डाकू ईख के खेत की आड़ में थे जबकि पुलिस खुले में थी और बिना दिखाई दिए पुलिस की गतिविधि को देख सकते थे। डाकुओं ने खेत के उत्तर-पूर्व की ओर डाले गए घेरे में खाली स्थान से बचकर भागने का प्रयत्न किया। पुलिस ने उनकी गतिविधि को देख लिया। श्री दूधे सिंह और श्री दुलारे सिंह के साथ पुलिस उप अधीक्षक डाकुओं की गोली की परवाह किए बिना तुरन्त उस खाली स्थान की ओर बढ़े। इस मुठभेड़ में श्री देवी सिंह को कलाई पर तथा श्री दुलारे सिंह को आंख में गोली लगी। उसकी आंख जाती रही। श्री दूधे सिंह की जांघ में चोट आई। अपनी चोट के बावजूद इन तीनों अधिकारियों ने डाकुओं को खेत के उत्तर-पूर्व की ओर से बचकर भागने नहीं दिया और उत्कृष्ट वीरता तथा कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया। श्री हीरा सिंह ब्रेन गन चालक थे। उन्होंने डाकुओं के बच भागने के किसी भी प्रयत्न को रोकने के लिए खुले में अपनी ब्रेन गन लगाई। श्री हीरा सिंह मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने डाकुओं की भारी गोलाबारी के बावजूद पुलिस के घेरे को तोड़ने के डाकुओं के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया। इस तरह उन्होंने मुठभेड़ में शौर्य तथा उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। छः डाकुओं के मारे जाने के बाद पुलिस को ईख के खेत के भीतर बचे हुए तीन डाकुओं को ढूंढने के लिए भेजने का निश्चय किया गया। श्री सूबेदार सिंह तलाशी दल में थे। उन्होंने ईख के खेत में खतरे की परवाह किए बिना प्रवेश किया और बड़े साहस तथा कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

डाकू नत्थू सिंह तोमर के गिरोह के साथ मुठभेड़ में उक्त पुलिस अधिकारियों ने उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री दुलारे सिंह, श्री दूधे सिंह, श्री देवी सिंह, श्री सूबेदार सिंह तथा श्री हीरा सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 1970 से दिया जाएगा।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1972

परिशिष्ट

सं० एम० 11011/3/71-रा० न० सर्वे-II—22 जनवरी, 1972 को भारत के राजपत्र भाग I खंड 1 में प्रकाशित मंत्रिमंडल सचिवालय, सांख्यिकीय विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 1972 के संकल्प सं० एम० 11011/3/71-रा० न० सर्वे०-II में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन किए जायेंगे :—

1. उक्त संकल्प के पैरा 2 के उप-पैरा (i) (क) के अन्तिम वाक्य में निर्दिष्ट अनुलग्नक के स्थान पर संबद्ध अनुलग्नक रखा जायेगा। 'मंहगाई भत्ता' और 'नगर भत्ता' शब्द के बीच में 'मकान-किराया भत्ता' शब्द भी निवेशित किए जायेंगे। पैराग्राफ 2 में अंकित तारीख "25-10-1971" के स्थान पर भी "20-3-1972" रखी जायेगी।

2. पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (2) की अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

"संगणन, मशीन सारणीयन और पंचिंग अनुभागों में तृतीय श्रेणी के पदों के बारे में समकक्ष पदों का मामला सरकार द्वारा गठित एक समिति को भेज दिया गया है, देखें इस विभाग का दिनांक 29 अप्रैल 1972 का सं० एम-11011/66/72-रा० न० सर्वे०-II और उस समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के बाद समकक्ष पदों के निर्धारण में संशोधन किया जायेगा।

3. पैराग्राफ 2 के वर्तमान उप-पैरा (3) के बाद निम्नलिखित रखा जायेगा :—

"सरकारी वेतन-मान, सरकारी भत्ते और सरकारी सेवा-निवृत्ति लाभ में आने के लिए उपर्युक्त विकल्प उन कर्मचारियों के मामले में उपलब्ध नहीं होंगे जिनकी सेवा-निवृत्ति की आयु के परे पहले ही सेवावधि बढ़ी हुई हो, परन्तु इस प्रकार के कर्मचारी सरकारी सेवा में खपाए जाने पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा सेवा की बढ़ी हुई स्वीकृत अवधि समाप्त होने तक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान पैकेज पर पूर्ववत् रहेंगे।

4. पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (5) में अन्तिम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :—

"तथापि, सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा संस्वीकृत संगहाई भत्ते, नगर भत्ते, मकान-किराया भत्ते, संतान शिक्षा भत्ते, अतिरिक्त समय भत्ते और अन्तरिम राहत की दरों में कोई भी वृद्धि, उक्त संस्थान से आने वाले भारतीय

सांख्यिकीय संस्थान वेतन-मान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान भत्ता और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए विकल्प देने वाले उक्त कर्मचारियों के लिए लागू होगी।"

5. पैराग्राफ 2 के वर्तमान उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

"तीसरे वेतन-आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के समय उन कर्मचारियों को जिन्होंने मूलतः भारतीय सांख्यिकीय संस्थान पैकेज के लिए विकल्प दिया हो, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लेने के बाद सरकार द्वारा निश्चित किए गए सरकारी वेतन-मानों, भत्तों और सेवा-निवृत्ति लाभों सहित सभी अन्य लाभों में पूर्णतः आने के लिए विकल्प हेतु एक सद्य विकल्प देने की अनुमति दी जायेगी। तथापि, यह उन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर लागू न होगा जो समकक्ष पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुयोग्य नहीं पाये जायें।"

6. पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (8) (2) के अन्तिम वाक्य में आये हुए वरिष्ठता शब्द के बाद "(वरिष्ठता निर्धारण के लिए सिद्धान्तों के बारे में विवाद सहित)" शब्द जोड़े जायेंगे।

7. पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (16) में दूसरे वाक्य के अन्त में "और ऐसी अवधि के बारे में जैसी कि उक्त संस्थान में व्यतीत की गई हो उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए सेवा-रिकार्ड के बारे में ध्यान रखते हुए" शब्द जोड़े जायेंगे।

मंत्रिमंडल सचिवालय, सांख्यिकी विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 1972 के संकल्प सं० एम०-11011/3/71-रा० न० सर्वे०-II का संशोधित अनुलग्नक जैसा कि परिशिष्ट संख्या एम० 11011/3/71-रा० न० सर्वे०-II दिनांक 30 अप्रैल, 1972 द्वारा संशोधित किया गया है।

क्रमांक	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में पद का प्रवर्ग	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान वेतन-मान	उक्त प्रवर्ग में सर्जित किए जाने वाले पदों की अधिकतम संख्या	प्रस्थापित समकक्ष वेतन-मान	उसी वेतन-मान वाले वर्तमान समकक्ष पद का पदनाम	प्रस्थापित वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनुसंधान प्रोफेसर	रु० 1600-100-1900	1	रु० 1300-60-1600-100-1800	संयुक्त निदेशक	प्रथम श्रेणी
2.	प्रोफेसर	रु० 1100-50-1300-60-1600	2	रु० 1100-50-1400	विशेष कार्य अधिकारी	यथोपरि
3.	सांख्यिक ग्रेड I	यथोपरि	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
4.	सांख्यिक ग्रेड II	रु० 700-50-1250	8	रु० 700-40-1100-50/2-1250	उप-निदेशक	यथोपरि
5.	कार्यपालक अधिकारी	प्रवरण ग्रेड 850-50-1150	5	यथोपरि	उप-निदेशक (प्रशासन)	यथोपरि
		ग्रेड I रु० 500-30-740-द० रो०-30-830-35-900		रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900	लेखा व प्रशासन अधिकारी	द्वितीय श्रेणी
		ग्रेड II रु० 350-25-600-द० रो०-30-750		350-25-500-30-590-द० रो०-30-800	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी	यथोपरि
6.	लेखा अधिकारी	रु० 700-50-1250	1	रु० 700-40-1100-50/2-1250	उप-निदेशक	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4	5	6	7
7.	सांख्यिक ग्रेड III	रु० 600-40-800-50-1150	17	रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950	सहायक निदेशक	प्रथम श्रेणी
7.1.	संक्रिया केन्द्र के उपाध्यक्ष	यथोपरि	1	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
8.	अधीक्षक (क्षेत्रीय-कार्य)	रु० 600-40-800-50-1150	1	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
9.	सांख्यिक ग्रेड IV	रु० 400-40-800-50-950	43	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
10.	अनुभागाध्यक्ष (संग)	यथोपरि	5	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
11.	अनुभागाध्यक्ष (एम.टी.)	यथोपरि	4	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
12.	अनुरक्षण इंजीनियर (मैके०)	यथोपरि	1	यथोपरि	सहायक कार्यकारी अभियन्ता	यथोपरि
13.	लेखापाल	रु० 500-30-740-द० रो०-30-830-35-900	2	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द०रो० 30-830-35-900	लेखा व प्रशासन अधिकारी	द्वितीय श्रेणी
14.	अनुभाग अधिकारी	रु० 325-25-500-द० रो०-30-620	7	रु० 350-20-450-25-575	कार्यालय अधीक्षक	यथोपरि
15.	कार्यालय अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्य)	यथोपरि	1	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
16.	उप अनुभागाध्यक्ष (संग)	यथोपरि	6	रु० 325-15-475-द० रो०-20-575	अधीक्षक	यथोपरि
17.	उप अनुभागाध्यक्ष (एम०टी०)	यथोपरि	4	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
18.	अनुभागाध्यक्ष (पंचिंग)	रु० 325-25-500-द० रो०-30-620	3	रु० 325-15-475-द० रो०-20-575	अधीक्षक	द्वितीय श्रेणी
19.	उप अधीक्षक (क्षेत्रीय-कार्य)	यथोपरि	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
20.	अनुरक्षण मैकेनिक इंचार्ज	यथोपरि	2	रु० 210-10-290-15-320-द० रो०-15-425	यांत्रिक सहायक	तृतीय श्रेणी
21.	आशुलिपिक ग्रेड I	यथोपरि	1	यथोपरि	आशुलिपिक ग्रेड I	यथोपरि
22.	यूनिट अध्यक्ष (संग)	रु० 220-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530	23	यथोपरि	सहायक अधीक्षक	यथोपरि
23.	यूनिट अध्यक्ष (एम० टी०)	यथोपरि	18	यथोपरि (अस्थायी)	यथोपरि	यथोपरि
24.	उप अनुभागाध्यक्ष (पंचिंग)	यथोपरि	4	यथोपरि (अस्थायी)	यथोपरि	यथोपरि
25.	सहायक अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्य)	यथोपरि	10	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
26.	आशुलिपिक ग्रेड II	यथोपरि	3	यथोपरि	आशुलिपिक ग्रेड I	यथोपरि
27.	सांख्यिकीय सहायक	यथोपरि	4	यथोपरि	सहायक अधीक्षक	यथोपरि
28.	वरिष्ठ सहायक	यथोपरि	6	यथोपरि	सहायक	यथोपरि
29.	तकनीकी सहायक (प्रशासन)	यथोपरि	1	यथोपरि	सहायक अधीक्षक	यथोपरि
30.	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	यथोपरि	3	यथोपरि	लेखापाल	यथोपरि
31.	कार्टोग्रेफिक सहायक	रु० 180-10-290-15-320-द० रो०-15-425	1	रु० 250-10-290-15-320-द० रो०-15-380	आर्टिस्ट	यथोपरि
32.	ग्रुप अध्यक्ष (संगणन)	रु० 180-10-290-15-320-द० रो०-15-425	43	रु० 180-10-290-15-320-(अस्थायी)	निरीक्षक	यथोपरि
33.	वरिष्ठ आपरेटर (एम०टी०)	यथोपरि	27	यथोपरि	यथोपरि	तृतीय श्रेणी

1	2	3	4	5	6	
34.	यूनिट अध्यक्ष	यथोपरि	16	यथोपरि (अस्थायी)	यथोपरि	यथोपरि
35.	निरीक्षक (क्षेत्रीय कार्य)	यथोपरि	28	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
36.	कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक	यथोपरि	13	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
37.	सहायक ग्रेड I	यथोपरि	10	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300	उच्च श्रेणी लिपिक	यथोपरि
38.	सहायक ग्रेड I (लेखा)	यथोपरि	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
39.	संगणक (संग०)	रु० 130-5-160-द० रो०-10-290-15-380-प्रवरण ग्रेड-350-15-425	226	(i) रु० 150-5-160-8-240-द०रो०-8-280-10-300-(स्नातकों के लिए) (अस्थायी)	सगणक (वरिष्ठ)	यथोपरि
				(ii) रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180+रु० 15 प्रति मास विशेष वेतन (मैट्रीक्यूलेटों के लिए) (अस्थायी)	संगणक	यथोपरि
40.	संगणक (एम० टी०)	यथोपरि	70	(i) रु० 150-5-160-8-240-द०रो०-8-280-10-300-(स्नातकों के लिए) (अस्थायी)	की पंच आपरेटर (वरिष्ठ)	यथोपरि
				(ii) रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180+रु० 15 प्रति मास विशेष वेतन (मैट्रीक्यूलेटों के के लिए) (अस्थायी)	की पंच आपरेटर	यथोपरि
41.	की पंच आपरेटर	रु० 130-5-160-द० रो०-10-290-15-380-प्रवरण ग्रेड-350-15-425	81	(i) रु० 150-5-160-8-240-द० रो०-8-280-10-300-(स्नातकों के लिए) (अस्थायी)	की पंच आपरेटर (वरिष्ठ)	तृतीय श्रेणी
				(ii) रु० 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180+रु० 15 प्रति मास विशेष वेतन (मैट्रीक्यूलेटों के लिए) (अस्थायी)	की पंच आपरेटर	यथोपरि
42.	अन्वेषक (क्षेत्रीय कार्य)	यथोपरि	101	रु० 150-5-160-8-240-द० रो०-8-280-10-300	अन्वेषक	यथोपरि
43.	रोकड़िया	रु० 160-10-290-15-380	3	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300+नकद भत्ता	रोकड़िया	यथोपरि

1	2	3	4	5	6	7
44.	आशुलिपिक ग्रेड III	यथोपरि	1	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300	आशुलिपिक ग्रेड II	यथोपरि
45.	सहायक ग्रेड II	यथोपरि	36	यथोपरि	उच्च श्रेणी लिपिक	यथोपरि
46.	सहायक ग्रेड II (लेखा)	यथोपरि	6	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
47.	रखवाल/पर्यवेक्षक	ग्रेड I रु० 160-6-220-द० रो०-276 प्रवरण ग्रेड-284-8-316	2	यथोपरि	रखवाल	यथोपरि
		ग्रेड II रु० 105-3-135-द० रो०-4-175-प्रवरण ग्रेड-5-205		रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	सहायक रखवाल	यथोपरि
48.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड I	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280	27	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300	उच्च श्रेणी लिपिक	यथोपरि
49.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड I (लेखा)	यथोपरि	1	यथोपरि	उच्च श्रेणी लिपिक	यथोपरि
49क.	संगणक	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280	2	रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300	उच्च श्रेणी लिपिक	तृतीय श्रेणी
50.	मैकेनिक	ग्रेड I रु० 160-6-220-द० रो०-7-276-प्रवरण ग्रेड-284-8-316		रु० 150-5-175-6-205-द० रो०-7-240	मैकेनिक	यथोपरि
		ग्रेड II रु० 105-3-135-द० रो०-4-175-प्रवरण ग्रेड-5-205	2	रु० 110-3-131-4-143-द० रो०-4-155	सहायक मैकेनिक	यथोपरि
51.	टाइपिस्ट ग्रेड I	रु० 160-10-290-15-380	10	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	अवर श्रेणी लिपिक	यथोपरि
	टाइपिस्ट ग्रेड II	रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280	8	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
	टाइपिस्ट ग्रेड III	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
52.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड II	यथोपरि	23	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
53.	टेलीफोन आपरेटर	रु० 105-3-135-द० रो०-4-175-प्रवरण ग्रेड-5-205	7	यथोपरि	टेलीफोन आपरेटर	यथोपरि
54.	जिल्दबंदी फोरमैन	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	7	रु० 110-3-131-4-143-द० रो०-4-155	जिल्दसाज	यथोपरि
55.	अभिलेख परिचारक	रु० 110-2-118-द० रो०-2-132-3-150	36	रु० 75-1-85-द० रो०-2-95	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी
56.	रसोइया	रु० 80-1-92-द० रो०-2-108-प्रवरण ग्रेड-3-123	3	रु० 75-1-85-द० रो०-2-95	रसोइया	यथोपरि
57.	जमादार/सफाई कर्मचारी	यथोपरि	28	रु० 70-1-80-द० रो०-1-85	सफाई कर्मचारी	यथोपरि
58.	दरबान/सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	यथोपरि	29	यथोपरि	चौकीदार	यथोपरि

1	2	3	4	5	6	7
59.	माली	यथोपरि	13	यथोपरि	चपरासी	यथोपरि
60.	मज़दूर	रु० 80-1-92-द० रो०-2-108-प्रवरण ग्रेड-3-123	4	रु० 70-1-80-द० रो०-1-85	चपरासी	चतुर्थ श्रेणी
61.	फुहारिया (स्प्रेयर)	यथोपरि	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
62.	ग्लास क्लीनर	यथोपरि	1	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
63.	क्लीनर	यथोपरि	2	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
64.	मददगार	रु० 70-1-80-द० रो०-1-85-2-95-प्रवरण ग्रेड-93-3-123	163	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
65.	काउन्टर परिचारक	रु० 110-2-118-द० रो०-2-123-3-150	5	रु० 70-3-85-4-105-(+मंहगाई राहत रु० 100 तक के वेतन के लिए 25 रु० की दर से और 100 रु० वेतन से ऊपर के लिए 30 रु० की दर से) रु० 85-2-95-3-110	कूपन क्लर्क	यथोपरि
66.	मशीन परिचारक	रु० 100-2-118-द० रो०-2-132-3 150	34		मशीन परिचारक	यथोपरि

वि० ल० गिद्वाणी, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1972

सं० वी० 11012/1/70-रा० न०सर्वे०-II—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्यकलाप को शासित करने के लिए भारत सरकार ने सांख्यिकीय विभाग की 25 मार्च 1970 की अधिसूचना सं० वी० 11012/1/70-टेक० द्वारा एक शासी परिषद् गठित की थी। कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान से दो सांख्यिकों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान, संस्थानों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों से दो अर्थ-शास्त्रियों, राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों के दो निदेशकों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के दो सांख्यिकीय/आर्थिक सलाहकारों की सदस्यता जो दो वर्ष की अवधि के लिए थी, समाप्त हो चुकी है। अब इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त शासी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया है :

1. डा० टी० वी० हनुराव, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता।
2. डा० डी० के० बोस, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता।
3. प्रोफेसर के० एन० राज,
   विकास अध्ययन केन्द्र,
   प्रसन्था हिल, आकुलम रोड,
   उल्लूर, त्रिवेन्द्रम-II
4. प्रो० राज कृष्ण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्यालय, आंध्र प्रदेश, सरकार, हैदराबाद।
6. निदेशक, राज्य सांख्यिकीय कार्यालय, महाराष्ट्र, सरकार, बम्बई।
7. निदेशक, श्रम कार्यालय, श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, (श्रम और रोजगार विभाग) शिमला।
8. आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, खाद्य, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।

ज० प्र० सिंह, उप सचिव

गृह मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 मई 1972

सं० 51/4/72 ए० एन० एल० (i)—राष्ट्रपति, लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के लिए सहर्ष नामित करते हैं।

1. मिनिकोय के० श्री के० ए० इब्राहिम मानिकफान।
2. अनद्रोत के श्री के० तल्लकोया।
3. अकत्ती के श्री पी० मोहम्मद मालमी।
4. कवरत्ती के श्री कुट्टियाम्मद मालमी।
5. अमिनी के श्री पाट्टक्कल पूकोया।

सं० 51/4/72-ए० एन० एल० (ii)—राष्ट्रपति, लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनदिवी द्वीपसमूह के प्रशासक से सम्बद्ध सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के लिए सहर्ष नामित करते हैं।

1. कलपेनी के श्री पी० हमजा कोया।
2. किलटान के श्री एन० कोया।
3. चेटलाट के श्री चेक्काकल मुत्तुकोया।
4. कडमत के श्री तेराक्कल अब्दुल कादर।
5. बित्रा के श्री चेरिया बियातियोडा सय्यद बुहारी।
6. चेटलाट की श्रीमती पी० मैदाबी।
7. कलपेनी की श्रीमती पी० हजरोमाबी।

जी० के० भनोत, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1972

संकल्प

स० एस० सी० (1)-5(2)/70—दिनांक 19-11-70 के संकल्प सं० एस० सी० (1)5(2)/70, जिसे दिनांक 28-11-70 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, का आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार ने लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् में छ समद् सदस्यों को शामिल करने का भी निर्णय किया है ।

आदेश

3. आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

आदेश

स० एस० सी० (1)-5(2)/70—दिनांक 28-4-72 के संकल्प सं० एस० सी० (1)-5(2)/70 के अनुसार, भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संसद् सदस्यों को लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् के सदस्य नामित करती है :—

1. श्री नवल किशोर शर्मा	लोक सभा
2. श्री पी० के० घोष	लोक सभा
3 श्री जगन्नाथ मिश्र	लोक सभा
4. श्री मुलकी राज सैनी	लोक सभा
5. श्री इन्द्र सिंह	राज्य सभा
6. श्री बे० के० महन्ती	राज्य सभा

ए० एन० राजगोपालन, उप-सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 मई 1972

आदेश

सं० 53(1)/70-सी० एल०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड, एतद्द्वारा भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग, के एक अधिकारी श्री आर० वेंकटासुब्बैया, लागत लेखा अधिकारी, नई दिल्ली, को कथित धारा 209 के उद्देश्य हेतु, प्राधिकृत करता है ।

2. कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा, औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग, के श्री आर० वेंकटा-सुब्बैया के पक्ष में, आदेश सं० 51/1/65-सी० एल० II, दिनांक 22 जुलाई, 1968 को प्रेषित पहले प्राधिकरण का प्रतिसंहरण करता है ।

एन० डी० भाटिया, उप-सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1972

संकल्प

विषय :—अखिल भारतीय खेल परिषद् का पुनर्गठन ।

सं० एफ० 1-2/72-वाई० एस०-1(2)—इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-18/68-वाई० एस०-1(2), दिनांक 30 नवम्बर, 1970 के द्वारा भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल तथा शारीरिक शिक्षा परिषद् स्थापित करने का सकल्प किया था । विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर फिर से विचार किया गया है तथा भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि अखिल भारतीय खेल परिषद् का पुनर्गठन करके खेलों का हित साधन भली प्रकार किया जा सकता है । तदनुसार, भूतपूर्व शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-18/68-वाई० एस०-1(2), दिनांक 30 नवम्बर, 1970 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

2. अखिल भारतीय खेल परिषद् एक सलाहकार निकाय होगा तथा खेलों को बढ़ावा देने सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगा ।

3. अखिल भारतीय खेल परिषद् में अध्यक्ष तथा 33 सदस्य होंगे जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे ।

4. सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों में से मनोनीत किया जा जाएगा :—

(1) जिन खिलाड़ियों ने खेलों में श्रेष्ठता प्रगट की हो . . .	18
(2) खेलों को आगे बढ़ाने वाले तथा खेलों में सुविज्ञता प्राप्त करने वाले .	6
(3) खेलों के लेखक . .	1
(4) शिक्षाविद् . .	3
(5) लोक सभा के दो सदस्यों जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे	2
(6) राज्य सभा का एक सदस्य, जो राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा . . .	1
(7) विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि .	1
(8) शिक्षा विभाग में खेलों का प्रभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार सदस्य सचिव . . .	1
	33

5. अखिल भारतीय खेल परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि :—

(1) अखिल भारतीय खेल परिषद् के पदेन सदस्य, उस अवधि तक सदस्य रहेंगे, जब तक उस पद को धारण करें कि जिसके कारण वे परिषद् के सदस्य बने हों,

(2) मनोनयन करने वाले प्राधिकारियों को जब तक चाहें मनोनीत सदस्य पद पर रहेंगे ।

(3) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि से अखिल भारतीय खेल परिषद् में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्षों के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही पद पर रहेगा ।

6. अखिल भारतीय खेल परिषद् एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी ।

7. कार्य की सुविधा को देखते हुए, परिषद् को, जितनी वह आवश्यक समझे, विभिन्न उप-समितियां स्थापित करने का अधिकार है ।

8. भारत सरकार अखिल भारतीय खेल परिषद् की सदस्यता में, समय-समय पर, जैसा आवश्यक समझें, वृद्धि कर सकती है ।

9. अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष को परिषद् की अथवा उसकी उप-समितियों की किसी बैठक में भाग लेने के लिए विशेष प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा ।

10. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) परिषद् तथा उसकी उप-समितियो की व्यवस्था आदि करेगा ।

11 आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति सचिवालय/भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों/भारत के विश्वविद्यालयों/अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ/राष्ट्रीय खेल परिषदो के अध्यक्षों/सभी राज्य खेल परिषदों/निदेशक, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला/प्रिंसिपल, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर/सनाइपुस के अध्यक्ष आदि को भेजी जाए ।

12. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कांति चौधुरी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1972

सं० एफ० 12-8/71 वाई एस०-1(3)—शिक्षा मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 16-6/65 पी० ई० 4, दिनांक 17 अगस्त 1965 के अनुसरण में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान की सोसाइटी को शासी बोर्ड में मनोनीत किया जाता है :—

अध्यक्ष

1. श्री राम निवास मिर्धा,
   राज्य मंत्री,
   गृह मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।

सरकारी प्रतिनिधि

2. श्री कांति चौधुरी,
   संयुक्त सचिव,
   शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
3. श्री जे० वीराराघवन,
   निदेशक (योजना तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार),
   सोसाइटी के वित्तीय सलाहकार,
   शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
4. रीअर एडमिरल आर० एन० बत्रा,
   अध्यक्ष सेना (सर्विसिज) खेल नियंत्रण बोर्ड,
   ए० एफ० ओ० मेस,
   डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
   नई दिल्ली ।

गैर सरकारी सदस्य

5. श्री एस० डी० चोपड़े,
   प्रिंसिपल,
   लक्ष्मीबाई/शारीरिक शिक्षा कालेज,
   ग्वालियर ।
6. श्री दिलीप बोस (टेनिस),
7. श्री मुश्ताक अली (क्रिकेट)
8. मेजर आर० जी० सलवी,
   सचिव,
   खेलें तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग,
   महाराष्ट्र राज्य,
   बम्बई ।
9. असम सरकार का एक प्रतिनिधि
   (मनोनयन बाद में होगा)
10. श्री पी० के० बैनर्जी (फुटबाल)
11. श्री जी० एम० शिवशंकर (शारीरिक शिक्षा)
12. श्री पी० के० माथुर (रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड)
13. श्री भालिन्द्र सिंह (भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष)
14. डा० जे० पी० थोमस,
    बाई० एम० सी० ए० शारीरिक शिक्षा कालेज मद्रास
15. श्री रंजीत भाटिया, (एथलिटिक्स)
    दिल्ली विश्वविद्यालय,
    दिल्ली ।
16. हाकी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेषज्ञ
    (मनोनयन बाद में होगा)

सदस्य सचिव

17. श्री आर० एल० आनन्द,
    निदेशक,
    राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान,
    पटियाला ।

मु० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1972

सं० एफ० 17-4/68-यू-3—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली पब्लिक संख्या का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करती है।

सं० एफ० 17-4/68-यू०-3—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की व्यवस्थाएं उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट संख्या जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि में 1 अप्रैल, 1972 से लागू होंगी।

एच० डी० गुलाटी, सहायक शिक्षा सलाहकार

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई, 1972

संकल्प

विषय :—उर्दू की उन्नति के लिये एक समिति का गठन।

सं० एफ० 15-25/72-एल०-1—भाषा नीति पर 18 जनवरी, 1968 के सरकारी संकल्प में "जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा धारण किया गया था इस पर महत्व दिया गया था कि देश की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति के हेतु यह आवश्यक है कि हिंदी के अलावा भारत की 14 मुख्य भाषाओं के पूर्ण विकास के लिये संगठित कार्रवाई की जाए। संकल्प में इसके अतिरिक्त सरकार को आदेश दिया गया कि इन भाषाओं के समन्वित विकास के लिये राज्य सकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम बनाय और कार्यान्वित करें ताकि वे शीघ्रता से सम्पन्न हो और आधुनिक ज्ञान के सम्प्रेषण के लिय प्रभावी माध्यम बन सके। केंद्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कार्यक्रम शुरू किये है। तथापि, उर्दू किसी एक राज्य सरकार अथवा किसी एक समुदाय से संबद्ध नहीं है। इसके विकास के दायित्व में केंद्र सरकार भी हिस्सा बटायेगी।

2. अतः यह आवश्यक है कि उर्दू की उन्नति और विकास के लिये पहले से किए गए उपायों के अतिरिक्त और अधिक उपाय शीघ्र ही किये जायें।

3. तदनुसार भारत सकार ने उर्दू की उन्नति के हेतु निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के संबंध में एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है :—

> "उर्दू भाषा की उन्नति के लिये ग्रहण किये जाने वाले उपायों तथा शैक्षिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों में उर्दू भाषी लोगों को पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने के लिये अपेक्षित कार्रवाई पर सरकार को परामर्श देना।"

4. समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री आई० के० गुजराल राज्य मंत्री निर्माण तथा आवास मंत्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	उपाध्यक्ष
3. श्री मिश्री सदा, राज्य शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य
4. प्रो० एम० मुजीब, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	सदस्य
5. प्रो० अब्दुल अलीम, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	सदस्य
6. डा० सरुप सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	सदस्य
7. प्रो० एस० एहतेशम हुसेन, अध्यक्ष उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
8. प्रो० ग्यान चन्द जैन, अध्यक्ष उर्दू विभाग, जम्मू व काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	सदस्य
9. श्री कृष्ण चन्दर, सैंट प्रासिस एवेन्यु, बंबई।	सदस्य
10. श्री मलिक राम, सी०-396, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।	सदस्य
11. श्री सज्जाद जहीर, बाई०-24, हौज खास, नई दिल्ली।	सदस्य
12. श्री आबिद अलीखां, सम्पादक "सियासत" हैदराबाद।	सदस्य

13. संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
14. संयुक्त सचिव (ओ० एल०) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
15. संयुक्त सचिव (भाषा) संस्कृति विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव
16. श्री एस० ए० जे० जैदी, उप-मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ।	सदस्य-संयुक्त सचिव

5. समिति के गैर सरकारी सदस्य अपने पदों पर सरकार की इच्छा पर ही बने रहेंगे और मृत्यु/त्यागपत्र इत्यादि से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, यदि आवश्यक समझी गयी, तो सरकार द्वारा भरी जाएगी ।

6. कोई सरकारी सदस्य यदि वह अपने वर्तमान पद से स्थानांतरित हो जाता है तो इस समिति के पद पर नहीं रहेगा ।

7. समिति को, अपनी स्थापना की तारीख से छः माह की अवधि में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये ।

आदेश है कि इस संकल्प की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी कुलपतियों, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, तथा सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागो को भेजी जायें ।

यह भी आदेश दिया है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

कांति चौधरी, संयुक्त सचिव,

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

परिवहन पक्ष

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 972

संकल्प

सं० 13-पी० जी० (48)/71—भारत सरकार को 1970-71 मद्रास पत्तन की 1970-71 की प्रशासन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है रिपोर्ट के मुख्य तथ्य नीचे दिये गये है ।

2 वित्तीय स्थिति

1970–71 वर्ष तथा गत वर्ष (1969–70) के दौरान राजस्व लेखा में पत्तन की आय और व्यय नीचे दिये गये हैं ।

लाख रुपयों में आंकड़े

	1969–70	1970–71
परिचालन आय .	903.34	1111.01
परिचालन व्यय .	677.02	698.74
परिचालन अधिशेष	(+) 226.32	412.27
जोड़िए		
वित्त और फुटकर आय	36.55	58.80
	(+) 262.87	(+) 470.97
घटाइये		
वित्त और फुटकर व्यय	126.11	153.72
	(+) 136.76	(+) 317.25
जोड़िए		
आरक्षित धन से निकाली गई रकमें . .	4.84	8.28
	141.60	325.53
घटाइये		
आरक्षित धन आदि को अन्तरण . .	185.59	198.43
	(–) 43.99	(+) 127.10

गत वर्ष के 939.89 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान 1169.71 लाख रुपये की कुल आय हुई । मुख्य रूप से विलम्ब शुल्क, क्रेन शुल्क और तेल संबंधी घाट शुल्क शीर्षकों के अंतर्गत परिचालन आय में 207.67 लाख रुपये की वृद्धि हुई ।

गत वर्ष के 883.89 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 942.61 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ । निलम्बित तथा पूंजी लेखा में अंशदान के अंतर्गत रखी गई रकम इस राशि में शामिल नही है । गत वर्ष के 677.02 लाख रुपये के परिचालन व्यय की तुलना में चालू वर्ष में 698.74 लाख रुपये का परिचालन व्यय हुआ । 21.72 लाख रुपये की यह वृद्धि मुख्य रूप से यातायात के बढ़ने सामान्य स्थोरा के अधिक धरा उठाई और गोदाम भाड़ा प्राप्त होने के कारण हुई ।

पूंजी की ओर 100 लाख रुपये के अंशदान को निकाल कर वर्ष के दौरान कार्य का कुल परिणाम 227.10 लाख रुपये का अधिशेष रहा जबकि गत वर्ष 56 लाख रुपये का अधिशेष था । पूंजी कार्यों के लिये 100 लाख रुपये का अंशदान देने के अलावा, पत्तन न्यास ने सामान्य बीमा निधि में 5 लाख रुपये, पेंशन निधि में 15 लाख रु० और कर्मचारी कल्याण निधि में 1 लाख रुपये का अंशदान किया ।

31 मार्च, 1971 को पूंजी लेखा और विभिन्न अन्य आरक्षित निधियों की शेष रकमें निम्न प्रकार से थी :—

	रुपये लाखों में
(i) पूंजी आरक्षित निधि	2133.44
(ii) पूंजी परिसंपत्ति पुनः पूंजीयन निधि	227.50
(iii) सामान्य आरक्षित निधियां	587.43
(iv) सामान्य बीमा निधि	49.11
(v) पैंशन निधि	19.89

वर्ष के अन्त में भारत सरकार के ऋणों की कुल शेष राशि 20.31 करोड़ रुपये थी, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक से 4.24 करोड़ रुपये के बकाया ऋण थे। मैसर्स एन० यू० एक्सपोर्ट फाइनेंसियरिंग हेग, हालैंड तथा मैसर्स अलगेमेना बैंक नीदरलैंड एन० वी० एम्स्टरडम, हालैंड से क्रमशः 23.61 लाख और 1.30 करोड़ रुपये के ऋणों की शेष राशि थी।

3. यातायात

1969–70 में 6440,143 टनों की तुलना में 1970–71 दौरान कुल यातायात (खाद्यपदार्थ का नौकान्तरण टनभार सहित) 6925,204 टन की धरा उठाई की गई। वर्ष के दौरान पत्तन से क्रमशः 3,737,451 तथा 3,187,753 टन आयात और निर्यात था। गत वर्ष में संगत आयात और निर्यात के आंकड़े क्रमशः 3,535,771 और 2,904,372 टन थे।

1970–71 वर्ष में कुल तटीय व्यापार 606,800 टन था जबकि गत वर्ष यह व्यापार 872,950 टन था। 1969-70 में 5,567,183 टन विदेश व्यापार की तुलना में 1970–71 में यह व्यापार 6,318,404 टन था।

पत्तन पास रेलवे ने 1970–71 के दौरान 3,017,337 टन भार की धरा उठाई की जबकि 1969-70 में यह भार 3,230,117 टन था।

4. नौवहन

गत वर्ष 1970 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान पाल जहाजों को छोड़कर, जहाजों की संख्या 960 थी। गत वर्ष के दौरान, 5,371,016 टन भार की तुलना में इस वर्ष 5,142,000 निवल टन भार था।

5 श्रम

वर्ष के दौरा श्रम स्थिति आमतौर पर संतोषजनक रही। श्रम कल्याण उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा।

6 निर्माण कार्य

वर्ष के दौरान, मूल कार्यों पर 549.96 लाख रुपये खर्च हुये। निम्नलिखित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जोकि गत वर्ष के दौरान पूरे हो गये थे या प्रगति में थे।

तेल गोदी परियोजना

परियोजना में, तेल शोध कारखानों में कच्चा तेल लाने और वहां से तैयार माल के निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक घाट की व्यवस्था की गई है। इस पर 21.20 करोड़ रुपये (संशोधित) का लागत का अनुमान है। उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान घमाव वृत्त में प्रशांत स्थिति बनाये रखने के लिये एक बाहरी पक्ष के निर्माणार्थ व्यवस्था इस अनुमान में शामिल नहीं है। प्रारंभ में 77,000 डी० डबलू० टी० और अन्त में 100,000 डी० डबलू० टी० के तेल पोतों के संबंध में सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये जिस तेल घाट का निर्माण किया जाना है, 1970–71 वर्ष के दौरान उससे संबंधित कार्य प्रगति पर था। तेल जेटी के मार्च/अप्रैल 1972 तक पूरा हो जाने की आशा है और पूर्वी पनकट के छोटे पाट की पूर्ति से जिसकी सितम्बर, 1972 तक पूरा होने की उम्मीद है, उक्त सुविधा पूर्ण रुप से उपयोग के योग्य होगी और पुष्कुटे डुबाव के जहाजों की प्राप्ति हो सकेगी।

कच्ची धातु धरा उठाई परियोजना

6000 टन प्रति घंटा दर पर लदान के बाहरी बन्दरगाह (जहां तेल जेटी भी चालू किया जाना है) में कच्चा लौह घाट और यांत्रिक कच्ची धातु घाट की व्यवस्था के संबंध में 9.7 करोड़ का अनुमानित लागत की स्वीकृति सितम्बर, 1969 में दी गई। सुधार कार्यों में देरी के कारण नवम्बर, 1969 में कार्य शुरु न किया जा सका। पूर्ण तथा मशीनी कच्चे लौह लदान संयंत्र के 1974 के प्रारंभ में चालू होने की आशा है।

मत्स्यक्षेत्र बन्दरगाह

नवम्बर, 1968 में मद्रास में एक बड़े मत्स्यक्षेत्र बन्दरगाह के निर्माणार्थ के मंत्रालय ने 3.89 करोड़ रुपये अनुमान की स्वीकृति दी। पूना अनुसंधान संस्थान में नमूने परीक्षण किये गये और उन्हें नमूना अध्ययन के आधार पर वर्ष के दौरान पनकट डिजाइन और अभिव्याम का अंतिम रूप दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने भूमि-अधिग्रहण की व्यवस्था की।

2000 टन क्षमता का चिखल चूषण ड्रेजर :

ड्रैजर गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड में निर्माणाधीन था। इसके सुपुर्दगी की प्रतीक्षा की जा रही है।

दो एक पेच वाली कोर्ट नोजल गोदी कर्षनावों का अभिग्रहण :

लगभग 120 लाख रुपये की अनुमानित लागत की दो कर्षनावें-मैसर्स एंड्रयु यूल एंड कंपनी लिमिटेड के निर्माणधीन है। 1973 के प्रारंभ में इन कर्षनाओं की सुपुर्दगी की संभावना है।

सिंगापुर से एक कर्षनाव एम० टी० बैटक की अधिप्राप्ति :

बड़े तेल पोतों को सुविधा की व्यवस्था करने संबंधी नीति के अनुसार वर्ष के दौरान एक बड़ी शक्ति की पुरानी कर्षनाव खरीदी गई और नवम्बर, 1970 में चालू कर दिया गया।

7. अभिस्वीकृति :

भारत सरकार, आलोच्य वर्ष के दौरान मद्रास पत्तन व्यास द्वारा किये गये काम को संतोषजनक समझती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण सूचनार्थ उक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

के० शिवराज, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th May 1972

No. 56-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Bawa Sawan Singh,
Adjutant,
VI Battalion,
Pradeshik Armed Constabulary,
Meerut,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the morning of the 16th May, 1969 when the Police party including Bawa Sawan Singh was returning from village Ikramnagar after laying an ambush to arrest the members of the gang of Girraj, information was received by them that Girraj's gang alongwith his associates were hiding in village Gayare-ka-Nagla. The Police party was immediately divided into two groups one of which was headed by Bawa Sawan Singh. These two police parties surrounded the village Gavare-ka-Nagla from Western side. The Police party led by Bawa Sawan Singh reached the hideout of the dacoit. But the dacoits came to know of the movement of the Police and started firing on them from the roof of the hideout. The party under the command of Bawa Sawan Singh took a position and returned the fire. The dacoits were in an advantageous position because they were on the roof and the Police personnel were without any cover. But Bawa Sawan Singh did not lose courage. He crawled to get a safe position to save the police from the bullets of the dacoits. With the help of a wooden ladder which was kept outside the adjacent house, he quietly went up the roof followed by a Constable. On seeing him, the dacoits started firing on him but Bawa Sawan Singh took the cover of the 'Munder' of the roof and fired on the dacoits. As a result of this action of Bawa Sawan Singh the dacoits changed the direction of their firing on the police personnel on the ground and started firing solely on Bawa Sawan Singh. Bawa Sawan Singh hit one of the dacoits on the roof who was killed. In the encounter, another dacoit was injured.

In the above encounter, Bawa Sawan Singh displayed conspicuous gallantry, courage and initiative and killed one of the important members of the gang of dacoits.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th May, 1969.

No. 57-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name and rank of the officer

Shri S. Sunilchandra Sharma,
Sub-Inspector of Police,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the evening of 1st November, 1970 suddenly disorder broke out in the town of Imphal. Many shops were set on fire. Miscreants also resorted to looting and arson in the bazars and raided a residential colony. During the course of town beat, information was received by Shri S. Sunilchandra Sharma at about 7.30 p.m. on 1st November, 1970 that some shops of betel-leaf sellers were being broken open in Thangal Bazar and attempts were being made to set them on fire. Shri Sharma immediately rushed to the spot along with the available police force. On the way the police party came across a loaded truck which had been set on fire by the goondas. The Police party tried to extinguish the fire but they were stoned by a mob of twenty to thirty persons. Shri Sharma warned the mob to disperse but his warning had no effect and the miscreants continued brickbating. Shri Sharma then brandished his revolver. As a result of this action, the mob retreated. Shri Sharma salvaged the truck and most of its load from being reduced to ashes. After saving the truck, Shri Sharma proceeded to a nearby general store which had, in the meantime, been set on fire by the miscreants. Efforts were made to extinguish the fire but the police party were again attacked by the miscreants as a result of which Shri Sharma received a stone injury on his leg. Unmindful of his injury, Shri Sharma fired one round with his revolver and dispersed the mob. In the meantime, it was noticed that a cloth shop in that vicinity had been broken open by the miscreants and bundles of cloth were being thrown from inside the shop on the road. Shri Sharma rushed to the cloth shop with his injured leg. He also requisitioned re-inforcements from the Imphal Police Station by telephone. The Police Party was again stoned by the mob. Shri Sharma remained undeterred and fired two more rounds from his revolver towards the crowd, and dispersed the mob.

Because of his gallant and determined action, Shri S. Sunilchandra Sharma saved the public property from being reduced to ashes.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st November, 1970.

No. 58-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Mohan Singh,
Constable No. 70002078,
1st Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the Secretariat has been awarded.

On 17th September, 1971 at 0800 hrs. a party comprising two sections of the Central Reserve Police accompanied by the Calcutta Police were detailed to search Rajabagan area under the jurisdiction of Cossipore Police Station, Calcutta. After encircling the *basti* in Rajabagan area the Police parties were detailed to search out the suspected hide-outs of extremists and anti-social elements and illegal arms and ammunition. When the search was started, two extremists started running towards Dum Dum road. Shri Mohan Singh, who happened to be near the hide-out of the extremists, chased them. While one of the extremists was carrying a revolver, his associate was armed with a "Bhujali". Shri Mohan Singh was prevented from catching one of the extremists by the latter's associate. The extremist then pointed his revolver towards Shri Mohan Singh in order to shoot him but before he could do so, Shri Mohan Singh, without caring for his personal safety, pounced upon the extremist and hit him with the butt of his rifle. He thus foiled the attempt of the extremist to pull the trigger of his revolver. Meanwhile, officials of the Calcutta police arived and the extremist was shot dead.

Shri Mohan Singh exhibited conspicuous gallantry in apprehending the extremist in disregard of his personal safety. Because of the action of Shri Mohan Singh was extremist was subsequently killed by the officials of the Calcutta Police.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th September, 1971.

No. 59-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Shankar Rama Rade,
Police Constable, B. No 12059/C,
Greater Bombay Police Force,
Maharashtra. *(Deceased)*

Shri Jaisingh Shankar Vichare,
Lance Naik, B. No. 8399/C,
Greater Bombay Police Force,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 13th August, 1971, Shri Shankar Rama Rade and Shri Jaisingh Shankar Vichare were on patrol duty in plain clothes on Falk Land Road, Bombay. At about 0200 hrs. that night, Shri Rade and Shri Vichare heard some noise in that area.

On hearing the alarm, Shri Rade rushed to the place from where the noise was coming and came across a bad character who was holding a dagger in his hand. In disregard of his personal safety and impelled by a high sense of duty, Shri Rade swooped on the armed assailant, even though the people were shouting that the assailant, had already stabbed three persons. The assailant struggled hard to espace from the firm grip of Shri Rade and stabbed him in the abdomen. In the meantime, Shri Vichare also arrived at the spot. He gave a blow to the assailant with his umbrella and also kept a firm grip on him. He thus arrested the armed assailant. Shri Rade succumbed to his injuries after two days.

In arresting an armed assailant in disregard of their personal safety, Shri Shankar Rama Rade and Shri Jaisingh Shankar Vichare exhibited conspicuous gallantry.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th August, 1971.

No. 60-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Orissa Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hadibandhu Behera,
Havildar.
Armed Reserve Police, Ganjam,
Orissa.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 27th July, 1971, information was received at the Ramagiri Police Station at 7.30 P.M. that a band of armed extremists were camping in village Betarsingi and were planning to commit crime. Immediately on receipt of the information, Shri Hadibandhu Behera proceeded to village Betarsingi with eight Constables to apprehend the extremists. After passing through hilly jungle, they reached the village Betarsingi at about 9.30 P.M. After collecting information about the hideout of the extremists, Shri Behera divided the police party into two groups and proceeded to the hideout of the extremists from two flanks. At about 1.30 A.M. the police party led by Shri Behera reached near the rock where the extremists were sitting. Suddenly a bomb was thrown at the police party which exploded with enormous noise and sent splinters in all directions. One of the splinters hit just below the right eye of Shri Behera and caused a bleeding injury. Without caring for the bomb attack and for his bleeding injury, Shri Behera marched ahead with his party to round up the extremists. The extremists threw another bomb at the police party but Shri Behera remained undaunted and ordered his men to open fire on the extremists, as a result of which one extremist was killed and two others were injured. Subsequently, one of the injured extremists died.

Shri Hadibandhu Behera displayed conspicuous gallantry and courage in apprehending the armed extremists.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th July 1971.

No. 61-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Harivallabh Mohan Lal Joshi,
Deputy Inspector General of Police,
Gwalior,
Madhya Pradesh.

Shri Attar Singh,
Company Commander,
5th Battalion, Special Armed Force,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Atmanand Dube,
Constable No. 636,
5th Battalion, Special Armed Force,
Morena,
Madhya Pradesh. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The gang of dacoit Nathu Singh Tomar which had been operating in the Districts of Gwalior Division and adjoining districts of Rajasthan and U.P. was responsible for a number of offences of kidnapping, murder and dacoity. On 18th February 1970, information was received by Shri Harivallabh Mohan Lal Joshi that part of the gang of dacoit Nathu Singh was hiding in the jungle of Gaswani Police Station and was planning to commit a crime in village Sahasram. Shri Joshi chalked out a plan of action against the dacoits and divided the Police party into four groups. The dacoits were hiding in a sugar-cane field. Two of the Police parties were deployed to cordon the farther sides of the sugarcane field in the morning of 19th February, 1970. The remaining two Police parties were led by Shri M. K. Shukla, Sub-Divisional officer and Shri M. D. Sharma, Superintendent of Police. While Shri Shukla's party was moving towards the South to take up position, the dacoits noticed the Police and started firing on them. Unmindful of the grave danger, the Police returned the fire and killed six dacoits. In this operation Shri Joshi not only shouldered risk but also kept on moving in the open in order to ensure that the cordon was laid effectively and no gaps were left. Later on he positioned himself at the head of the party which was in the fore-front. Shri Joshi displayed conspicuous courage and valour in the face of grave danger.

Shri Attar Singh along with the men of his company waded his way in knee-deep water in the dark stormy night to take up position. After the dacoits started firing on the Police, Shri Attar Singh led an attack on the dacoit gang. He moved in the open to the very fringe of the sugarcane field and lobbed hand grenades on the dacoits. In the initial encounter six dacoits were killed but it was understood that three more dacoits including the leader of the gang were still hiding in the field. It was very difficult to find out the exact place of hiding of the dacoits. It was therefore, decided that the field should be searched. Shri Attar Singh headed the final assault group which was sent to mop up the surviving dacoits. He exposed himself to grave risk of life in launching the attack on the dacoits.

After the initial encounter when it was decided to search the sugarcane field in order to mop up the surviving dacoits Shri Atmanand Dube was in the fore-front. He was the first to enter the sugarcane field knowing fully well that he might be the first target of the dacoits. Unmindful of the risk involved he entered the sugarcane field but was shot by the dacoits at a point blank range. This firing by the dacoits indicated their position in the filed and the Police liquidated the dacoits. In planning action against the gang of dacoit Nathu Singh and subsequently in liquidating the dacoits Shri Harivallabh Mohan Lal Joshi, Shri Attar Singh and Shri Atmanand Dube displayed conspicuous gallantry and courage.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently in the cases of Shri Attar Singh and Shri Atmanand Dube, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 19th February, 1970.

No. 62-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the BAR to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police.

Names and ranks of the officers

Shri Mahesh Dutt Sharma,
Superintendent of Police,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Daryao Prasad,
Company Commander,
'F' Company, 5th Battalion,
Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The gang of dacoit Nathu Singh Tomar had been operating in the Districts of Gwalior Division and the adjoining districts of Rajasthan and U.P. since 1961. This gang was responsible for a number of offences of kidnapping, murder and dacoity. On 18th February, 1970 when Shri Mahesh Dutt

Sharma was camping along with DIG of Police near village Bijaipur, information was received that a part of the gang of dacoit Nathu Singh was hiding in a sugarcane field near village Sahasram and were planning to commit a crime. Shri Sharma chalked out a plan of action under the guidance of the Deputy Inspector General of Police. Police party was divided into four groups and they were ordered to proceed stealthily in the night and take up position around the sugarcane field before the dawn on 19th February, 1970. While two of the Police parties were deputed to take up position at the farther end of the field, two police parties were asked to take up positions near the southern fringe of the field. While doing so, they were noticed by the dacoits. The dacoits immediately opened heavy fire on the Police. Shri Sharma headed one of the Police parties. He rushed with his officers to block one of the sides of the sugarcane field in which the dacoits were hiding. He ran at the head of his party and exposed himself to the heavy fire of the dacoits. Subsequently he assisted the Deputy Inspector General of Police in the direction of the operation. Shri Sharma thus exhibited gallantry in the encounter. Shri Daryao Prasad led one of the companies against the dacoit gang. He waded his way in knee deep water in the dark stormy night to reach the strategic position allotted to him. He moved about in the open to direct the fire and attack on the dacoit gang from the fringe of the sugarcane field where the dacoits were hiding. Later on, he headed the searching parties who were deputed to search the surviving dacoits.

In the encounter with the dacoits Shri Mahesh Dutt Sharma and Shri Daryao Prasad exhibited conspicuous gallantry and courage.

2. These awards are made for gallantry under clause sixthly of the statutes read with rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Daryao Prasad, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th February, 1970.

No. 63-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Mahendra Kumar Shukla,
Sub-Divisional Officer, Police,
Sheopur,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Dularc Singh,
Constable No. 720,
2nd Battalion, Special Armed Force,
Gwalior,
Madhya Pradesh.

Shri Dudhe Singh,
Constable No. 93,
'B' Company,
10th Battalion, Special Armed Force,
Sagar,
Madhya Pradesh.

Shri Devi Singh,
5th Battalion, Special Armed Force,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Subedar Singh,
Constable No. 152,
5th Battalion, Special Armed Force,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Hira Singh,
Constable No. 422,
15th Battalion, Special Armed Force,
Indore,
Madhya Pradesh.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

The gang of dacoit Nathu Singh Tomar had been operating in the Districts of Gwalior Division and the adjoining districts of Rajasthan and U.P. since 1961 and had committed a number of kidnapping, murder and dacoity cases. On 18th February, 1970, information was received that part of the gang of dacoit Nathu Singh was hiding in the jungle of village Sahasram. A plan of action was prepared by the Deputy Inspector General of Police and the Police Parties were divided into four groups. One of the Police party was led by Shri Mahendra Kumar Shukla. These Police parties marched in knee deep water throughout the night in order to take up position before dawn on 19th February 1970. The dacoits were hiding in a sugarcane field. When the Police party led by Shri Shukla was advancing towards the Southern fringe of the field, the dacoits noticed the movement of the Police and opened fire on them. Even though the Police were taken by surprise, they remained undeterred. Shri Hira Singh was the LMG gunner in the Police party. He rushed ahead of the Police party along with two other Police officers in order to mount his gun at a suitable spot. While the Police were in the open, the dacoits were under the cover in the sugarcane field and they could know the movement of the Police without being noticed. The dacoits tried to escape through the gap in the cordon in the North Eastern side of the field. Their movement was noticed by the Police and Shri Shukla rushed along with Shri Dudhe Singh and Shri Dularc Singh towards the gap is disregard of the firing by the dacoits. In the encounter Shri Devi Singh received a bullet injury in his wrist while Shri Dularc Singh received a bullet injury in his eye. He lost his eye. Shri Dudhe Singh was injured in his thigh. Inspite of their injuries all these three officers did not allow the dacoits to escape from the north eastern side of the field, and exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty. Shri Hira Singh was a bren-gunner. He mounted his bren gun in the open to stall any attempt by the dacoits to make good their escape. Shri Hira Singh held the ground and despite heavy fire by the dacoits cordon. He thus exhibited valour and conspicuous gallantry in the encounter. After six dacoits were shot dead it was decided to send Police parties inside the sugarcane field in order to search out the three surviving dacoits. Shri Subedar Singh was in the search party. He entered in the sugarcane field in disregard of the risk involved and exhibited great courage and devotion to duty.

In the encounter with the gang of dacoit Nathu Singh Tomar, all the Police Officers mentioned above exhibited conspicuous gallantry and courage.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the cases of Shri Dularc Singh, Shri Dudhe Singh, Shri Devi Singh, Shri Subedar Singh and Shri Hira Singh, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th February, 1970.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 30th April 1972

ADDENDA

No. M-110113/3/71-NSS.II.—The following additions/amendments shall be made in the Cabinet Secretariat, Department of Statistics Resolution No. M-11011/3/71-NSS.II, dated 17th January 1972 published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated 22nd January 1972 :—

1. The annexure referred to in the last sentence of subpara (i)(a) of para 2 of the said Resolution shall be substituted by the attached annexure. The words "House Rent Allowance' shall also be inserted between the words 'Dearness Allowance and 'City Compensatory Allowance'. The date "25-10-1971" in paragraph 2 shall also be changed to "20-3-1972".

2. The following shall be added after the last line of subpara (2) of paragraph 2 :—

"The question of equivalent posts in respect of class III posts in the Computation, Machine Tabulation and Punching Sections has been referred to a Committee constituted by the Government *vide* this Department No. M-11011/66/72-NSS.II, dated 29th April 1972 and the determination of equivalent posts will be revised after considering the recommendations of that Committee.

3. The existing sub-para (3) of paragraph 2 may be followed by the following :—

"The option referred to above of coming over to Government scale of pay, Government allowances and Government retirement benefits will not be available in the case of those employees who are already on extension beyond the age of retirement; but on absorption in Government service such employees could continue on the ISI package upto the expiry of the period of extension granted by the Indian Statistical Institute.

4. The following sentence shall be added after the last sentence in sub-para (5) of paragraph 2 :

"However, any increase in the rates of Dearness Allowance, City Compensatory Allowance, House Rent Allowance Childrens' Education Allowance, Overtime Allowance and Interim Relief sanctioned by Government to Government servants, will be applicable to the employees coming over from the Institute and opting for ISI scale of pay, ISI allowances and ISI retirement benefits".

5. The existing sub-para (6) of paragraph 2 may be substituted by :

"At the time of implementation of the recommendations of the Third Pay Commission, those employees who initially opted for ISI package will be allowed a fresh option of switching over wholly to the Government pay scales, allowances and all other benefits including retirement benefits as decided by Government after taking into account the recommendations of the Pay Commission. This will however, not apply to those Class I and Class II officers who are not found suitable by the UPSC for appointment to the equivalent posts".

6 The words "(including dispute regarding principles for determination of seniority)" shall be added after the word seniority occurring in the last sentence of sub-para (3)(a) of paragraph 2.

7. The words "and having regard to the record of service made available by the Institute in respect of such period as was rendered in the Institute" shall be added at the end of second sentence in sub-para (16) of paragraph 2.

Revised Annexure to Cabinet Secretariat, Deptt. of Statistics Resolution No. M-11011/3/71-NSS.II dated 17th January, 1972 as amended by the Addenda No. M-11011/3/71-NSS-II dated 30th April, 1972

Sl. No.	Category of post in ISI	ISI Scale of pay	Maximum No. of posts to be created in Category	Proposed equivalent scale of pay	Designation of existing equivalent post carrying same scale of pay	Proposed Classification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Research Professor	Rs. 1600 100—1900	1	Rs. 1300—60—1600—100—1800	Joint Director	Class I
2.	Professor	Rs. 1100—50—1300—60—1600	2	Rs. 1100—50—1400	Officer on special duty	-do-
3.	Statistician Grade I	-do-	2	-do-	-do-	-do-
4.	Statistician Grade II	Rs. 700 —50— 1250	8	Rs. 700—40—1100—50/2—1250	Deputy Director	-do-
5.	Executive Officer	SG 850—50—1150		-do-	Deputy Director (Admn)	-do-
		Grade I Rs. 500—30—740—EB—30—830—35—900	5	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900	Accounts-cum-Admn. Officer	Grade II
		Grade II Rs. 350—25—600—EB—30—750		Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800	Junior Admn. Officer.	-do-
6	Accounts Officer	Rs. 700—60—1250	1	Rs. 700—40—1100—50/2—1250	Deputy Director	Class I
7.	Statistician Grade III	Rs. 600—40—800—50—1150	17	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950	Assistant Director	-do-
7a.	Deputy Head of Operation centre	-do-	1	-do-	-do-	-do-
8.	Superintendent (Field)	Rs. 600—40—800—50—1150	1	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950	Assistant Director	Class I
9.	Statistician Grade IV	Rs. 400—40—800—50—950	43	-do-	-do-	-do-
10.	Head of Section (Comp)	-do-	5	-do-	-do-	-do-
11.	Head of Section (MT)	-do-	4	-do-	-do-	-do-
12.	Maintenance Engineer (Mech.)	-do-	1	-do-	Assistant Exedutive Engineer.	-do-
13.	Accountant	Rs. 500—30—740—EB—30—830—35—900	2	Rs 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900	Accounts-cum-Adm. Officer	Class II
14.	Section Officer	Rs. 325—25—500—EB—30—620.	7	Rs. 350—20—450—575	Office Supdt.	-do-
15.	Office Supdt. (Field)	-do-	1	-do-	-do-	-do-
16.	Deputy Head of Section (Comp)	-do-	6	Rs. 325—15—475—EB—20—575	Superintendent	-do-
17.	Deputy Head of Section (MT)	-do-	4	-do-	-do-	-do-
18.	Head of Section (Punching)	-do-	3	-do-	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Deputy Supdt (Field)	Rs 325—25—500—EB—30—620	2	Rs 325—15—475—EB—20—575	Superintendent	Class II
20	Maintenance Mechanic Incharge	-do-	2	Rs 210—10—290—15—320—EB—15—425	Mechanical Assistant	Class III
21	Stenographer Grade I	-do-	1	Rs 210—10—290—15—320—LB—15—425	Stenographer Grade I	Class III
22	Unit Head (Comp)	Rs 220—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530	23	-do-	Assistant Supdt	-do-
23	Unit Head (MT)	-do-	18	-do- (Provisional)	-do-	-do-
24	Deputy Head of Section (Punching)	-do	4	-do- (Provisional)	-do -	-do-
25	Asstt Supdt (Field)	-do-	10	-do-	-do-	-do-
26	Stenographer Grade II	-do-	3	-do-	Stenographer Grade I	-do-
27	Statistical Assistance	-do-	4	-do-	Assistant Supdt	-do-
28	Senior Asstt	-do-	6	-do-	Assistant	-do-
29	Technical Asstt (Publication)	-do	1	-do-	Asstt Supdt	
30	Senior Asstt Accounts)	-do-	3	-do-	Accountant	-do-
31	Cartographic Assistant	Rs 180—10—290—15—320—EB—15—425	1	Rs 250—10—290—15—320—LB—15—380	Artist	-do-
32	Group Head (Comp)	-do-	43	Rs 180—10—290—15—320 (Provisional)	Inspector	-do-
33	Senior Operator (MT)	-do-	27	-do-	-do-	-do-
34	Unit Head (Punching)	do-	16	-do- (Provisional)	-do-	-do-
35	Inspector (Field)	-do	28	-do-	-do-	-do-
36	Junior Statistical Assistant	-do	13	-do-	-do-	-do-
37	Assistant Grade I	-do-	10	Rs 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—300	U D C	-do-
38	Asstt Grade I (A/cs)	-do-	2	-do-	-do-	-do-
39	Computer (Comp)	Rs 130—5—160—EB—10—290—15—380—SG—380—15—425	226	(i) Rs 150—5—160—8—240—EB—8—280—10—300 (For graduates) (Provisional)	Computer (Sr)	-do-
				(ii) Rs 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180—plus spl pay of Rs 15/-p m (for matriculation) (Provisional)	Computer	-do-
40	Operator (MT)	do-	70	(i) Rs 150—5—100—8—240—EB—8—280—10—300 (For graduates) (Provisional)	Key Punch Operator (Sr)	-do-
				(ii) Rs 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180 plus spl pay of Rs 15/- p m (for matriculates) (Provisional)	Key Puch Operator	-do-
41	Key Punch Operator	-do-	81	(i) Rs 150—5—160—8—240—EB—8—280—10—300 (for graduates) (Provisional)	Key Punch Operator (Sr)	-do-
				(ii) Rs 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180 plus spl pay of Rs 15/- p m (for matriculates) (Provisional)	Key Punch Operator	-do-
42	Investigator (field)	-do-	101	Rs 150—5—160—8—240—EB—8—280—10—300	Investigator	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	Cashier	Rs. 160—10—290—15—380	3	Rs. 130—5—160—8—200—LB—8—256—FB—8—280—10—300 Plus cash allowance	Cashier	Class III
44.	Stenographer Grade III	-do-	1	Rs. 130—5—160—8—200—LB—8—256—FB—8—280—10—300	Stenographer Grade II	-do-
45.	Asstt. Gr. II	-do-	36	-do-	U.D.C.	-do-
46.	Assistant Grade II (A/cs)	-do-	6	-do-	-do-	-do-
47.	Caretaker/Supervisor	Gr. : I Rs. 160—6—220—EB—7—276—SG—284—8—316	2	-do-	Caretaker	-do-
		Gr. II : Rs. 105—3—135—EB—4—175—SG—5—205		Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180	Assistant Caretaker	-do-
48.	Junior Asstt. Grade I	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—FB—8—280	27	Rs. 130—5—160—8—200—FB—8—256—EB—8—280—10—300	U.D.C.	-do-
49.	Junior Asstt. Grade I(A/cs)	-do-	1	-do-	U.D.C.	-do-
49A.	Compounder	-do-	2	—	— +	-do-
50.	Mechanic	Grade I: Rs. 160—6—220—EB—7—276—SG—284—8—316		Rs. 150—5—175—6—205—EB—7—240	Mechanic	-do-
		Grade II: Rs. 105—3—135—EB- 4—175—SG 5—205	3	Rs. 110—3—131—4—143—	Assistant Mechanic	-do-
51.	Typist Gr. I	Rs. 160—10—290—15—380	310	Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180	L.D.C.	-do-
	Typist Gr. II ..	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.	8	-do-	-do-	-do-
	Typist Gr. III ..	Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.	2	-do-	-do-	-do-
52.	Junior Asstt. Grade II	-do-	23	-do-	-do-	-do-
53.	Telephone Operator	Rs. 105—3—135—EB—4—175—SG—5—205	7	-do-	Telephone Operator	-do-
54.	Binding Foreman ..	Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180	7	Rs. 110—3—131—4—143—EB—4—145	Binder	-do-
55.	Record Attendant ..	Rs. 100—2—118—EB—2—132—3—150	36	Rs. 75—1—85—FB—2—95	Daftry	Class IV
56.	Cook	Rs. 80—1—92—EB—2—108—SG—3—123	3	Rs. 75—1—85—EB—2—95	Cook	-do
57.	Jamadar/Sweeper ..	-do-	28	Rs. 70—1—80—EB—1—85	Sweeper	-do-
58.	Darvan/Security Guard/Night Guard	-do-	29	-do-	Chowkidar	-do-
59.	Gardener	-do-	13	-do-	Peon	-do-
60.	Mazdoor	-do-	4	-do-	-do-	-do-
61.	Sprayer	-do-	2	-do-	-do-	-do-
62.	Glass Cleaner ..	Rs. 80—1—92—EB—2—108—SG—3—123	1	-do-	-do-	-do-
63.	Cleaner	-do-	2	-do-	-do-	-do-
64.	Helper	Rs. 70—1—80—EB—1—85—2—93—SG—93—3—123	163	-do-	-do-	-do-
65.	Counter Attendant	Rs. 100—2—118—EB—2—132—3—150	5	Rs. 70—3—85—4—105—(Plus dearness relief Rs. 25/- for pay upto Rs. 100 and Rs. 30/- for pay above Rs. 100/-)	Coupen Clerk	-do-
66.	Machine Attendant	Rs. 100—2—118—EB—2—132—3—150	34	Rs. 85—2—95—3—110	Machine Attendant	-do-

V. L. GIDWANI, Under Secy.

New Delhi, the 5th May 1972

No. V.11012/1/70-NSS.II.—With the Department of Statistics Notification No. V-11012/1/70-Tech., dated 25th March 1970 the Government of India constituted a Governing Council for governing the activities of the National Sample Survey Organisation. The membership of two Statisticians from the Indian Statistical Institute, Calcutta, two Economists from Universities Research Institutes and other private organisations, two Directors of State Statistical Bureaus and two Statistical/Economic Advisers of Central Government Ministries/Departments, which was for a period of two years, has since expired. The following have now been appointed as members of the Governing Council for a period of two years with effect from the date of this order :

1. Dr. T. V. Hanurav, Indian Statistical Institute, Calcutta.
2. Dr. D. K. Bose, Indian Statistical Institute, Calcutta.
3. Prof K. N. Raj Centre for Development Studies, Prasantha Hill, Aakulam Road, Ulloor, Trivandrum-II.
4. Prof. Raj Krishna, University of Rajasthan, Jaipur.
5. Director, Bureau of Economics & Statistics, Government of Andhra Pradesh Hyderabad.
6. Director, State Statistical Bureau, Government of Maharashtra, Bombay.
7. Director, Labour Bureau Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) Simla.
8. Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), New Delhi.

J. P. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 4th May 1972

No. 51/4/72-*ANL(i)*.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee for the Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, associated with the Minister of Home Affairs, for the period from the 1st April, 1972, upto the 31st March, 1973 :—

1. Shri K. A Ibrahim Manikfan of Minicoy.
2. Shri K Nallakoya of Androth.
3. Shri P Mohammed Malmi of Agatti.
4. Shri M. Kuttiammed Malmi of Kavaratti.
5. Shri Pattakkal Pookoya of Amini.

No. 51/4/72-*ANL(ii)*.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Council associated with the Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, for the period from the 1st April, 1972, upto the 31st March, 1973 :—

1. Shri Hamaza Koya of Kalpeni.
2. Shri N. Koya of Kiltan.
3. Shri Chekkakal Muthukoya of Chetlat.
4. Shri Therakal Abdulkadar of Kadmat.
5. Shri Cheriyabiyyathiyoda Syed Buhari of Pitra.
6. Smt. P. Saidabi of Chetlat.
7. Smt. P. Hajromabi of Kalpeni.

G. K BHANOT, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 28th April 1972

RESOLUTION

No. SC(I)-5(2)/70.—In partial modification of Resolution No. SC(I)-5(2)/70, dated 19-11-70 published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated 28-11-70, the Government of India have now decided that six Members of Parliament may also be included in the composition of the Iron & Steel Advisory Council.

ORDER

2. ORDERED that this may be published in the Gazette of India for general information.

ORDER

No. SC(I)-5(2)/70.—In terms of Resolution No. SC(I)-5(2)/70, dated 28-4-72, the Government of India hereby nominates the following Members of Parliament to be members of the Iron & Steel Advisory Council :—

(1) Shri Naval Kishore Sharma—Lok Sabha.
(2) Shri P. K. Ghosh—Lok Sabha.
(3) Shri Jagannath Mishra—Lok Sabha
(4) Shri Mulki Raj Saini—Lok Sabha
(5) Shri Inder Singh—Rajya Sabha.
(6) Shri B. K. Mahanti—Rajya Sabha.

A. N. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi-1, the 1st May 1972

ORDER

No. 53/1/70-*CL.II*.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri R. Venkatasubbiah, Cost Accounts Officer, New Delhi, an officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

2. The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri R Venkatasubbiah in the Ministry of Industrial Development & Company Affairs, Department of Company Affairs, Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 22nd July, 1968.

N. D. BHATIA, Jt. Director of Inspection & *Ex-Officio* Dy. Secy. to the Company Law Board

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 13th April 1972

RESOLUTION

SUBJECT :—*Re-constitution of the All India Council of Sports.*

No. F-1-2/72-YSI(2).—By this Ministry's Resolution No. F.1-18/68-YS-I(2), dated 30th November, 1970, Government of India had resolved to establish a National Council of Sports and Physical Education. This question has been reconsidered in the light of the suggestions received from various sources and the Government of India have now decided that the interest of sports and games could be best served by reconstituting the All India Council of Sports. Accordingly, Resolution No. F.1-18/68-YS-I(2), dated 30th November, 1970, of the former Ministry of Education & Youth Services is hereby revoked.

2. The All India Council of Sports will be an advisory body and will advise the Government of India on all matters relating to promotion of sports and games.

3. The All India Council of Sports shall consist of a President and 33 members to be nominated by the Government of India.

4. The members will be nominated from among the following categories : –

(i) Sportsmen, who have shown excellence in games and sports	18
(ii) Sports promoters and persons knowledgeable in sports	6
(iii) Sports writer	1
(iv) Educationists	3

(v) Two Members of Lok Sabha, to be nominated by the Speaker of Lok Sabha 2

(vi) A Member of Rajya Sabha, to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha. 1

(vii) A representative of Ministry of External Affairs. 1

(viii) Joint Secretary/Joint Educational Adviser incharge of games and sports in the Department of Education—*Member Secretary* 1

33

4. The tenure of the members of the All India Council of Sports shall be three years from the date of appointment, provided that :—

(i) the *ex-officio* members of the All India Council of Sports shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Council;

(ii) the nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority; and

(iii) if a vacancy arises on the All India Council of Sports due to resignation, death, etc., of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

5. The All India Council of Sports shall hold at least four meetings in a year.

6. For facility of work, the Council is empowered to set up various Sub-Committees as may be considered necessary.

7. The Government of India may add to the membership of the All India Council of Sports from time to time, as may be considered necessary.

8. The President of the All India Council of Sports will have the power to invite special representatives to attend any of the meetings of the Council or those of its Sub-Committees.

9. Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) shall service the Council and its Sub-Committees.

ORDER

10. ORDERED that a copy of this resolution be communicated to President's Secretariat/Ministries of the Government of India/All State Governments/Union Territories, Administration/Universities of India, President Indian Olympic Association/Presidents, National Sports Federations/All State Sports Councils/Director, National Institute of Sports, Patiala/Principal, Laxmibai College of Physical Education, Gwalior, Chairman, SMIPES, etc.

11. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

(Department of Education)

New Delhi, the 24th April 1972

No. 12-8/71-*YSI*(3).—In pursuance of the Ministry of Education Resolution No. F.16-6/65-PE.4, dated the 17th August, 1965, as amended from time to time, the following are nominated on the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports, for a period of three years with effect from the date of issue of this notification :

1. Shri Ram Niwas Mirdha, Minister of State, Ministry of Home Affairs, New Delhi.—*Chairman*

Government Representatives

2. Shri Kanti Chaudhuri, Joint Secretary, Ministry of Education & Social Welfare, New Delhi.

3. Shri J. Veera Raghavan, Director (Planning & Internal Finance), Ministry of Education & Social Welfare, New Delhi.—*Financial Adviser to the Society.*

4. Rear-Admiral R. N. Batra, Chairman, Services Sports Control Board, A.F.O. Mess, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi.

Non-Official Members

5. Shri S. D. Chopde, Principal, Lakshmibai College of Physical Education, Gwalior.

6. Shri Dilip Bose.—(*Tennis*)

7. Shri Mushtaq Ali.—(*Cricket*)

8. Major R. G. Salvi, Secretary, Department of Sports & Cultural Affairs, Maharashtra State, Bombay.

9. A representative of the Government of Assam (to be nominated later).

10. Shri P. K. Banerjee.—(*Football*)

11. Shri G. M. Sivashankar.—(*Physical Education*)

12. Shri P. K. Mathur.—(*Railway Sports Control Board*)

13. Shri Bhalindra Singh.—(*President, Indian Olympic Association*).

14. Dr. J. P. Thomas, Principal, YMCA College of Physical Education, Madras.—(*Physical Education*)

15. Shri Ranjit Bhatia, Delhi University, Delhi.—(*Athletics*)

16. An expert representing Hockey (to be nominated later).

17. Shri R. L. Anand, Director, National Institute of Sports, Patiala.—*Member-Secretary*

S. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

New Delhi, the 29th April 1972

No. F.17-4/68-*U3*.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of Jamia Millia Islamia, Jamianagar, New Delhi, a public institution to the Schedule to the said Act.

No. F.17-4/68-*U3*.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Jamia Millia Islamia, Jamianagar, New Delhi an institution specified in the Schedule to the said Act, with effect from the 1st day of April, 1972.

H. D. GUPTA, Asstt. Educational Adviser

(Department of Culture)

New Delhi, the 5th May 1972

RESOLUTION

SUBJECT :—*Setting up of a Committee for promotion of Urdu.*

No. F. 15-25/72/*L.I.*—The Government Resolution of 18th January, 1968, on the Languages Policy as adopted by both the Houses of Parliament emphasized that in the interest of the Educational and Cultural advancement of the country, it was necessary to take concerted measures for the full development of the 14th major languages of India besides Hindi. The resolution further enjoined upon the Government to prepare and implement a programme in collaboration with the State Governments for the coordinated development of all these languages so that they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge. With assistance from Central Government, the various State Governments have taken up programmes for the development of the regional languages. Urdu, however, is not the concern of any one State Government or of any community. The responsibility for its development has also to be shared by the Central Government.

2. It is, therefore, necessary that in addition to the steps already taken, further steps are taken urgently for the promotion and development of Urdu.

3. Government of India have accordingly decided to set up a Committee for promotion of Urdu with the following term of reference :

"To advise the Government on the measures to be adopted for the promotion of Urdu language and the steps required to be taken to provide adequate facilities for Urdu speaking people in educational cultural, and administrative matters."

4. The following are appointed to the Committee :

Chairman

(1) Shri I K. Gujral, Minister of State, Ministry of works & Housing, New Delhi.

Vice-Chairman

(2) Begam Hamida Habibullah, Minister of State, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

Members

(3) Shri Mishri Sada, Minister of State for Education, Government of Bihar, Patna.

(4) Prof. M. Mujeeb, Vice-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi.

(5) Prof. Abdul Aleem, Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, Aligarh.

(6) Dr. Sarup Singh, Vice-Chancellor, University of Delhi, Delhi.

(7) Prof. S. Ehtesham Hussain, Head of Urdu Department, Allahabad University, Allahabad.

(8) Prof. Gian Chand Jain, Head of the Department of Urdu, University of Jammu & Kashmir, Srinagar.

(9) Shri Krishan Chander, St. Francis Avenue, Bombay.

(10) Shri Malik Ram, C-396, Defence Colony, New Delhi.

(11) Shri Sajjad Zaheer, Y-24, Hauz Khas, New Delhi.

(12) Shri Abid Ali Khan, Editor, "Siyasat", Hyderabad.

(13) Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.

(14) Joint Secretary (OL) Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Member-Secretary

(15) Joint Secretary (Languages), Department of Culture, New Delhi.

Member Joint Secretary

(16) Shri S. A. J. Zaidi, Deputy Principal Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi.

5. The non-official members of the Committee will hold appointment at the pleasure of Government and causal vacancies caused due to death/resignation, etc. will be filled by Government, if considered necessary.

6. An official member will cease to hold office if transferred from his present position.

7. The Committee should submitt its report to Government within a period of six months from the date it is set up.

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution be communicated to all members of the Committee, Chairman, University Grants Commission, all Vice-Chancellors, Director, Central Hindi Directorate, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, and all State Governments, Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 21st April 1972

RESOLUTION

No. 13-PG(48)/71.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Madras for the year 1970-71. The following are the salient features of the Report.

2. *Financial Position*

The income and expenditure of the Port in Revenue Account during the year 1970-71 and in the previous year (1969-70) are indicated below :—

(Figures in lakhs of Rupees)

	1969-70	1970-71
Operating Income	903·34	1111·01
Operating Expenditure	677·02	698 74
Operating Surplus	(+) 226·32	412·27
Add		
Finance & Miscellaneous Income	36·55	58·70
	(+) 262·87	470·97
Less		
Finance & Misc. Expenditure	126·11	153. 72
	(+) 136·76	317·25
Add		
Amounts withdrawn from Reserves	4·84	8·28
	141·60	325·53
Less		
Transfer to Reserves, etc.	185·59	198·43
	(—) 43·99	(-) 127·10

The total receipts during the year amounted to Rs. 1169.71 lakhs compared with Rs. 939.89 lakhs during the previous year. There was an increase of Rs. 207.67 lakhs in operating income mainly under the headings demurrage fees, cranage charges and wharfage on oils. The total expenditure for the year amounted to Rs. 942.61 lakhs compared with Rs. 883.89 lakhs in the previous year. The figure exclude the amount held under 'Suspense' and 'Contribution to Capital Account'. The operating expenditure for the year amounted to Rs 698 74 lakhs as against Rs. 677.02 lakhs in the previous year showing an increase of Rs. 21.72 lakhs contributed mainly by handling and storage charges of general cargo when traffic had increased.

Excluding a contribution of Rs. 100 lakhs to Capital, the net result of working during the year is a surplus of Rs. 227.10 lakhs as against Rs. 56 lakhs during the previous year. Apart from a contribution of Rs. 100 lakhs for Capital works, the Port Trust contributed a sum of Rs. 5 lakhs to the General Insurance Fund, Rs. 15 lakhs to the Pension Fund and Rs. 1 lakh to the Employees Welfare Fund.

The balance in the Capital Account and the various other Reserve Funds as on 31st March, 1971 were as under :—

(i) Capital Reserve	2133.44 lakhs
(ii) Capital Asset Replacement Reserve	227.50 lakhs
(iii) General Reserve	587.43 lakhs
(iv) General Insurance Fund	49.11 lakhs
(v) Pension Fund	19.89 lakhs

The total amount of Government of India loans outstanding at the end of the year was Rs. 20.31 crores, while the amount of loan outstanding from I.B.R.D. in rupees was Rs. 4.24 crores. The amount of loan outstanding from M/s. N. V. Export Financing, the Hague, Holland and M/s. Algemne Bank Nederland N. V Amsterdam, Holland in Rupees was Rs. 23.61 lakhs and Rs. 1 30 crores, respectively.

Traffic

The total traffic handled (including transhipment tonnage of food-grain) was 6,925,204 tonnes during 1970-71 as compared to 6 440,143 tonnes in 1969-70. The imports and exports through the port during the year were 3,737,451 and 3,187 753 tonnes, respectively. The corresponding figures of imports and exports for the previous year were 3,535,771 tonnes and 2,904,372 tonnes respectively.

The total volume of coastal trade for the year 1970-71 was 606,800 tonnes as against 872,960 tonnes in the previous year. Foreign trade was 6,318,404 tonnes in 1970-71 and 5,567,183 tonnes in 1969-70

The Port Trust Railway handled a traffic of 3,017,337 tonnes during 1970-71 as against 3,230,117 tonnes in 1969-70.

4. *Shipping*

The number of ships, excluding sailing vessels, that entered the port during the year was 960 as against 1070 in the previous year. The net tonnage was 5,142,000 as against 5,371,016 during the previous year.

5. *Labour*

The labour situation during the year was generally satisfactory. Labour Welfare measures continued to receive special attention.

6. *Works*

During the year, an expenditure of Rs. 549.96 lakhs was incurred on capital works. The following are the important works completed or in progress during the year :—

Oil Dock Project

The Project envisages the provision of a berth to cater to the needs of oil tankers bringing in crude to the Refineries and exporting refined products from the Refineries; this is estimated to cost Rs. 21.20 crores (revised). This estimate does not include the provision for the construction of an Outer Arm intended to maintain the tranquility conditions in the turning circle during north-east monsoon. The oil berth, designed to provide facilities for oil tankers of 77,000 DWT in the initial stage and 100,000 DWT ultimately, was in progress during the year 1970-71. The oil jetty is expected to be completed by March/April 1972 and with the completion of the small stretch of eastern breakwater which is expected to be completed by September 1972, the facility would be fully usable and tankers drawing 42 ft. draft could be received.

Orehandling Project

An estimate of Rs. 9.7 crores for the provision of iron ore berth and mechanical ore handling plant in the Outer Harbour (where oil jetty is also to be commissioned) with the loading rate of 6000 tonnes per hour was sanctioned in September, 1969. The work could not be commenced during November, 1969 due to delay in reclamation works. Installation of a fully mechanized iron ore loading plant is expected early in 1974.

Fisheries Harbour

An estimate amounting to Rs. 3.89 crores was sanctioned by the Ministry of Agriculture for construction of a major fisheries harbour at Madras in November, 1968. Model tests at the Poona Research Station were conducted and based on the model study the layout and the design for the breakwater were under finalization during the year. Acquisition of land was arranged by the Government of Tamil Nadu.

Hopper Suction Dredger of 2000 Tons Capacity

The dredger was under construction by Garden Reach-Workshops Limited Its delivery is awaited.

Acquisition of two Single Screw Kort Nozzle Dock Tugs

These two tugs estimated to cost about Rs. 120 lakhs are under construction by M/s. Andrew Yule & Co. Limited. The tugs are expected to be delivered early in 1973.

Acquisition of a Tug M.T. "Venkat" from Singapore

In keeping with the policy of providing facility to big tankers, a high-powered second-hand tug was purchased from Singapore during the year and put in commission in November, 1970.

7. *Acknowledgement*

The Government of India view with satisfaction the work done by the Madras Port Trust during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972